छत्तीसगढ़ शासन

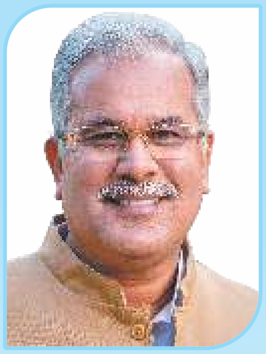

श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री

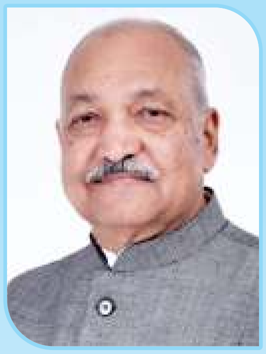

श्री रविन्द्र चौबे
मान. मंत्री, जल संसाधन

जल संसाधन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23

राज्योत्सव के दौरान माननीय सांसद श्री राहुल गांधी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री, जल संसाधन स्टाल का अवलोकन करते हुए

माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन द्वारा मोंगरा बैराज, जिला - राजनांदगांव का निरीक्षण

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-2023

मंत्रालय	
माननीय मंत्री	श्री रविन्द्र चौबे
सचिव	श्री अन्बलगन पी. (आई॰ए॰एस॰)
विशेष सचिव	श्री अनुराग पाण्डेय (आई॰ए॰एस॰)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री डी॰ एन॰ गिदरोनिया
अवर सचिव	श्री प्रेम सिंह घरेन्द्र

विभागाध्यक्ष	
प्रमुख अभियंता	श्री इन्द्रजीत उइके

विभाग के मण्डल एवं प्राधिकरण	
इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण	माननीय अध्यक्ष - श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
	माननीय उपाध्यक्ष - श्री राजीव शर्मा
अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण	माननीय अध्यक्ष - श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
	माननीय उपाध्यक्ष - श्री अभय नारायण राय
छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन	माननीय अध्यक्ष - श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री, जल संसाधन विभाग
	प्रबंध संचालक - श्री अतुल शुक्ला (आई.एफ.एस.)

रविशंकर जलाशय परियोजना का अप स्ट्रीम से विहंगम दृश्य

शासन की फ्लैगशिप योजना गोबर पेंट से शताब्दी पुरानी संरचना का काया कल्प (मनियारी एक्वाडक्ट - मुंगेली जिला)

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ क्रमांक
1.	विभागीय संरचना	:	1–4
2.	विभाग के दायित्व	:	5–7
3.	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	:	8–19
4.	विभागीय सिंचाई सांख्यिकी	:	20–25
5.	विभागीय बजट एवं राजस्व	:	26–32
6.	अभिनव कार्य योजना	:	33–46
7.	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)	:	47
8.	पारदर्शी निविदा आमंत्रण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली	:	48–51
9.	जल संसाधन विकास नीति – 2022	:	52
10.	जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन	:	53
11.	भविष्य की योजनाएं (future vision)	:	54–56
12.	अर्न्तराज्यीय जल विवाद (Interstate Water Disputes)	:	57
13.	विगत् चार वर्षों की उपलब्धियाँ	:	58–62
14.	विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा	:	63–66
15.	सफलता की कहानियाँ	:	67–81

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गई विभागीय बैठक

वर्ष 2022 में राज्योत्सव स्थल में जल संसाधन विभाग का स्टॉल

भाग - 1
विभागीय संरचना

1.1 सामान्य

शासन की मंशा के अनुरूप विभाग का मूल दायित्व जल का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास कर अधिक से अधिक कृषकों तक सिंचाई का लाभ पहुंचाना है। इस हेतु विभाग द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की जल आवश्यकताओं का, राज्य एवं जिला स्तर पर आंकलन एवं उसकी पूर्ति के लिये उपाय हेतु कार्य योजना बनायी गई है।

जल एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संसाधन है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन विभाग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जल के संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने तथा राज्य में कृषि, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग का मूल दायित्व न केवल प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास करना है, बल्कि बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं नवीन योजनाओं का सर्वेक्षण, निर्माण एवं निर्मित संसाधनो का रखरखाव करना भी है। राज्य में जल संसाधनों का युक्तियुक्त एवं मितव्ययिता पूर्ण उपयोग संभव बनाने आवश्यक विधिक प्रावधानों का सृजन एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना भी विभाग का ही दायित्व है।

1.2 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर

जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता होते हैं। प्रमुख अभियंता के अधीन 5 मुख्य अभियंता मैदानी क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्यालय प्रमुख अभियंता में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त बोधघाट परियोजना हेतु एक मुख्य अभियंता का मैदानी कार्यालय जगदलपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। मुख्य अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त जल संवर्धन योजनाएं यथा एनीकट, स्टापडेम तथा औद्योगिक बैराज का निर्माण संबंधी कार्यों के नियंत्रण अधिकारी हैं। मुख्य अभियंतावार कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना (मुख्यालय - रायपुर)

मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना — महानदी परियोजना समूह {रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय, मुरूमसिल्ली जलाशय (जिला धमतरी), दुधावा जलाशय (जिला कांकेर) एवं डॉ. खूबचंद बघेल (रूद्री) बैराज (जिला धमतरी)}, सोंढूर जलाशय (जिला धमतरी) एवं राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन योजना (जिला रायपुर)।

मध्यम परियोजना - परालकोट जलाशय, मयाना जलाशय (जिला कांकेर), पं. लखनलाल मिश्र (पेण्ड्रावन) जलाशय (जिला रायपुर), कोसारटेडा जलाशय (जिला बस्तर), झीरम नदी व्यपवर्तन योजना (जिला सुकमा)।

लघु सिंचाई योजना - जिला रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, बालोद, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ii) मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार (मुख्यालय - रायपुर)

मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना - तांदुला जलाशय परियोजना (जिला बालोद), सिकासार (पैरी परियोजना) जलाशय (जिला गरियाबंद), शहीद वीर नारायण सिंह (कोडार) जलाशय (जिला महासमुंद) एवं जोंक व्यपवर्तन योजना (जिला बलौदाबाजार–भाटापारा)।

मध्यम परियोजना - कुम्हारी जलाशय (जिला रायपुर), बलार जलाशय (जिला बलौदाबाजार–भाटापारा), केशवानाला जलाशय, अपर जोंक परियोजना (जिला महासमुंद), गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, मरोदा जलाशय (जिला दुर्ग), खरखरा जलाशय (जिला बालोद), रुसे जलाशय, पिपरियानाला जलाशय, (जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई) मोंगरा बैराज (जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी) मटियामोती जलाशय, घुमरिया बैराज, धारा जलाशय, शिवनाथ व्यपवर्तन योजना, सूखानाला बैराज (जिला राजनांदगांव), सरोदा जलाशय, छीरपानी जलाशय, बेहराखार जलाशय, सुतियापाट जलाशय, कर्रानाला बैराज (जिला कबीरधाम)।

लघु सिंचाई योजना - जिला रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गरियाबंद, महासमुन्द, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, सारंगढ़–बिलाईगढ़, कबीरधाम एवं बेमेतरा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(iii) मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (मुख्यालय - बिलासपुर)

मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना - मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (जिला कोरबा) एवं दिलीप सिंह जुदेव (केलो) परियोजना (जिला रायगढ़) ।

लघु सिंचाई योजना - जिला रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़ की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(iv) मुख्य अभियंता, हसदेव कछार (मुख्यालय - बिलासपुर)

मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाए शामिल हैं :–

वृहद परियोजना - खारंग जलाशय परियोजना, अरपा–भैंसाझार परियोजना (जिला बिलासपुर), मनियारी जलाशय परियोजना (जिला मुंगेली)।

मध्यम परियोजना - घोंघा जलाशय परियोजना (जिला बिलासपुर), केदारनाला जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय (जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़) खम्हारपाकुट जलाशय, मांड व्यपवर्तन (जिला रायगढ़)।

लघु सिंचाई योजना - जिला बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़ की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(v) **मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार (मुख्यालय - अंबिकापुर)** मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

मध्यम परियोजना - झुमका जलाशय, गेज जलाशय (जिला कोरिया), कुंवरपुर जलाशय, बांकी जलाशय, श्याम घुनघुट्टा जलाशय, श्याम बरनई जलाशय (जिला सरगुजा)।

लघु सिंचाई योजना - जिला सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(vi) मुख्य अभियंता (प्रबोधन)

मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्यालय प्रमुख अभियंता में संलग्न अधिकारी हैं। मुख्य अभियंता (प्रबोधन) का दायित्व विभाग की निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की मानिटरिंग के साथ केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं, नाबार्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं, विभागीय बजट, निविदा संबंधी कार्य एवं समस्त तकनीकी स्वरूप के कार्यों का संपादन करना है।

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभाग में 01 प्रमुख अभियंता, 05 मुख्य अभियंता, 14 मंडल, 62 संभाग एवं 291 उपसंभाग के अतिरिक्त 05 गुण नियंत्रण ईकाई के कार्यालय कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के परिपत्र क्र. 38/170/3–1/2004, दिनांक 06.02.2004 द्वारा जारी आदेश पश्चात् संशोधित सेटअप की स्वीकृति छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ–11–2/31/स्था./2005/दिनांक 04.01.2007, एफ–11–5/31/स्था./2007, दिनांक 04.01.2008 तथा एफ–11–16/31/स्था./2007, दिनांक 05.05.2008 एवं एफ 11–06/31 /स्था. /2022, दिनांक 08.09.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

1.4 विद्युत/यांत्रिकी संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य में 08 वृहद, 38 मध्यम एवं 3275 लघु योजनाओं को मिलाकर कुल 3320 सिंचाई योजनाएं संचालित है, जिसमें वि./यां. संबंधी लगभग समस्त प्रकार के लघु एवं दीर्घ जलद्वार उद्वहन सिंचाई योजनाएं, 30 नलकूप योजनाओं के साथ–साथ भारी मशीनरी कम्पेक्शन यूनिट एवं लगभग 500 निरीक्षण वाहन व परिवहन आदि से संबंधित परिसंपत्तियों के संचालन, मरम्मत व रख–रखाव (सामान्य व आपातकालीन स्थिति में) का कार्य WD Manual के अनुसार वि./यां. अमले का गठन छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के आदेश क्र. एफ 11–06/31/स्था./2022, दिनांक 08.09.2022 के द्वारा नवीन अधीक्षण अभियंता, वि./यां. जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर कार्यालय का गठन अधीक्षण अभियंता, वि./यां., जल संसाधन मण्डल, रायपुर के अधीन संभागों तथा उपसंभागों का युक्तियुक्तकरण कर पुर्ननियोजन किया गया, जिसके परिपालन में दिनांक 11.09.2022 से कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वि./यां. जल संसाधन मण्डल, सकरी, बिलासपुर का विधिवत् संचालन किया जा रहा है।

माननीय मंत्री जी एव सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा ली गई विभागीय बैठक

भाग - 2

विभाग के दायित्व

जल संसाधन विभाग का दायित्व प्रदेश में सतही जल तथा भू–जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास करना है। इनमें मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

- जल संसाधनों का सुनियोजित विकास इस प्रकार करना, जो पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय (Sustainable) हो।
- राज्य में जल संसाधन का आंकलन करना और संपूर्ण जल सेक्टर के लिये व्यापक योजना बनाने की नीति निर्धारित करना तथा जल के समन्वित उपयोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाईन) जारी करना।
- सूखा प्रभावित तथा वृष्टिछाया क्षेत्रों (Rainshadow Areas) में जल संसाधन के विकास के हर संभव प्रयास करना, जो तकनीकी दृष्टि से साध्य हो।
- कृषि, पेयजल एवं निस्तारी तथा उद्योगों हेतु आवश्यक जल व्यावहारिक दरों पर उपलब्ध कराना।
- सिंचित कमांड एरिया में सिंचाई तथा जल निकास कार्यों का नीति निर्धारण करना और संसाधन प्राप्त करने की भूमिका निभाना।
- जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ता संथाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- योजनाओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा विस्तृत रूपांकन कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाएं (जलाशय, व्यपवर्तन, उद्वहन, नलकूप, एनीकट/स्टापडेम) एवं औद्योगिक बैराज का निर्माण तथा निर्मित सिंचाई योजनाओं का रखरखाव, संचालन इत्यादि।
- बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाना तथा अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना तैयार करना।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों का आंकलन कर जल संवर्धन योजनाएं प्रस्तावित करना।
- खुली नहर के स्थान पर पाईप लाईन का उपयोग कर अधिक सिंचाई एवं फसल चक्र हेतु सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं तैयार करना।
- विभागीय अभियंताओं एवं कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यक्रम में प्रशिक्षण देना।

2.1 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

2.1.1 प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ शासन के तकनीकी सलाहकार हैं। इनका कार्य मुख्य अभियंताओं के कार्यों को समन्वित करना है। मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार है :–

- कार्य योजना तैयार करना।

- बजट बनाना।
- वित्तीय आबंटन संबंधी कार्य।
- स्थापना से संबंधित कार्य ।
- विकास एवं अनुसंधान तथा नियंत्रण एवं पालन।
- मुख्य अभियंताओं एवं शासन के साथ समन्वय।

2.1.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कछार एवं परियोजना के प्रमुख हैं। अपने संरचना अंतर्गत लोक कार्यों एवं समस्त निर्माण कार्यों के त्वरित एवं युक्ति संगत क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सलाहकार के रूप में प्रतिस्थापित हैं। मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :—

- योजना बनाना।
- कार्यों का क्रियान्वयन।
- वित्तीय अनुशासन लागू करना।
- शोध एवं विकास कार्य।

2.1.3 अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता, मण्डल के प्रभार में रहते हुये अपने क्षेत्र के अधीन निर्माण कार्य, लेखा कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के संपादन के लिये उत्तरदायी हैं। अधीक्षण अभियंता ऐसे सभी आदेशों एवं निर्देशों के लिये भी उत्तरदायी हैं, जो उन्हें समय—समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं।

2.1.4 कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता, संभागीय कार्यालय का शीर्ष अधिकारी है। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के नियंत्रण में रहते हुये उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हैं। कार्यपालन अभियंता का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें योजना तैयार करना, निर्माण कार्य, रख—रखाव एवं अन्य समस्त यांत्रिकी कार्यों का समावेश है। इन कार्यों को नियंत्रण में रखते हुये, सफलतापूर्वक इनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाना है। योजनाओं के अनुसंधान, निर्माण कार्य एवं रख—रखाव से संबंधित समस्त कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने का उत्तरदायित्व कार्यपालन अभियंता का है।

2.1.5 सहायक अभियंता

सहायक अभियंता, अनुविभाग के प्रभार में रहते हुये अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्वक निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। सहायक अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से ड्राईंग के अनुरुप, विभागीय मापदण्ड एवं नियमानुसार कार्यों के सम्पादन के लिये भी उत्तरदायी हैं।

अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुये सहायक अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई राजस्व वसूली के लिये नहर प्रतिसमाहर्ता के रूप में केनाल डिप्टी कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं। इन्हें सिंचाई राजस्व वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करना है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, अनुसंधान एवं ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है एवं वित्तीय आदान–प्रदान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता है।

2.1.6 उप अभियंता

उप अभियंता, वास्तविक रूप से अपने प्रभार के निर्माण कार्यों के निष्पादन में विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। जल कर वसूली के लिये इन्हें अतिरिक्त तहसीलदार के समकक्ष अधिकार प्राप्त हैं एवं सिंचाई जल वितरण के लिये वह सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गई बैठक

भाग - 3

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 44.57 प्रतिशत वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं। प्रदेश की नदियाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। भौगोलिक संरचना अनुसार प्रदेश को पांच नदी कछारों में विभक्त किया गया है यथा गंगा कछार उत्तर में, नर्मदा कछार पश्चिम में, ब्राम्हणी कछार उत्तर पूर्व में, महानदी कछार मध्य में और गोदावरी कछार दक्षिण में स्थित है। इन नदी कछारों का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नानुसार है :–

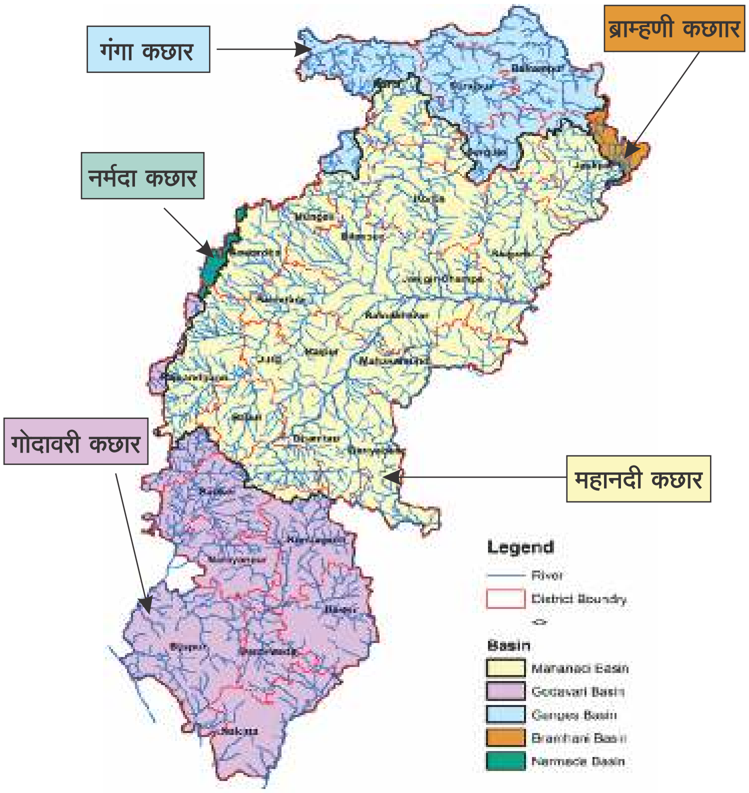

स. क्रं.	कछार का नाम	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
1	महानदी कछार	77.432	56.15
2	गोदावरी कछार	39.497	28.64
3	गंगा कछार	18.789	13.63
4	ब्राम्हणी कछार	1.423	1.03
5	नर्मदा कछार	0.759	0.55
योग :-		**137.900**	**100**

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से आंकलित सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जाना संभावित है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 49.50 प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 116 विकासखण्ड भू–जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में, 24 विकासखण्ड आंशिक संकट की श्रेणी में, 06 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित है।

3.1 प्रमुख विशेषतायें

छत्तीसगढ़ का कुल बोया गया क्षेत्र 55.40 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया क्षेत्र 46.53 लाख हेक्टेयर है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में सिंचाई क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2028 तक उपलब्ध सतही जल से 32 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता प्राप्त कर 100 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.1.1. STATE SPECIFIC ACTION PLAN (SSAP) on Water Sector :-

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) के अंतर्गत जल क्षेत्र पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आँकलन हेतु सभी राज्यों के लिए जल क्षेत्र पर राज्य विशेष कार्य योजना (SSAP on Water Sector) तैयार कर रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में एक प्रारूप प्रतिवेदन (Draft Report) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर की विशेषज्ञता में तैयार की गई है, आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मुख्य उद्देश्य :-

1. राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य– जल उपयोग क्षमता में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में जल संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों का आंकलन करना।
4. राज्य का "वार्षिक जल–बजट" तैयार करना।
5. राज्य और उनके नागरिकों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में क्रियाकलाप को बढ़ावा देना।
6. वर्ष 2050 तक के लिये जल सुरक्षा, बचत और सततता आधारित एक विस्तृत और एकीकृत जल–योजना तैयार करना।
7. वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं, चुनौतियों और उनके समाधान की रणनीति बनाना।
8. वर्तमान और पूर्व आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर जल की उपलब्धता और मांग का वैज्ञानिक अध्ययन करना।

3.2 निर्मित योजनाएं :-

3.2.1 वृहद परियोजना - 08 वृहद परियोजना जिसमें महानदी परियोजना समूह (रविशंकर सागर जलाशय, मुरूमसिल्ली जलाशय, दुधावा जलाशय), तांदुला जलाशय, सिकासार (पैरी) जलाशय, शहीद वीर नारायण सिंह (कोडार) जलाशय, जोंक व्यपवर्तन, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, खारंग जलाशय एवं मनियारी जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण है।

तांदुला वृहद सिंचाई परियोजना, जिला- बालोद

3.2.2 मध्यम परियोजना - 38 मध्यम परियोजना जिसमें कुम्हारी जलाशय, बलार जलाशय, केशवानाला जलाशय, अपर जोंक परियोजना, गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, मरोदा जलाशय, खरखरा–मोंहदीपाट परियोजना, मटिया मोती जलाशय, मोगरा बैराज, घुमरिया नाला बैराज, रूसे जलाशय, धारा जलाशय, पिपरियानाला जलाशय, शिवनाथ व्यपवर्तन, सरोदा जलाशय, छिरपानी जलाशय, बहेराखार जलाशय, सुतियापाट जलाशय, कर्रानाला बैराज, परालकोट जलाशय, मयाना जलाशय, झीरम नदी व्यपवर्तन, पं. लखनलाल मिश्र (पेण्ड्रावन) जलाशय, कोसारटेडा जलाशय, घोंघा जलाशय, केदारनाला जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय, खम्हारपाकुट जलाशय, मांड व्यपवर्तन, झुमका जलाशय, गेज जलाशय, कुंवरपुर जलाशय, बांकी जलाशय, श्याम घुनघुट्टा जलाशय, बरनई जलाशय एवं सूखानाला बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण है।

मल्हनिया टैंक, मध्यम सिंचाई परियोजना जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

3.2.3 लघु सिंचाई योजना - वृहद एवं मध्यम योजनाओं के अलावा 2466 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं।

3.2.4 एनीकट/स्टापडेम - 801 एनीकट/स्टापडेम/बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण है। इसका निर्माण निस्तारी, भूजल संवर्धन एवं नदी तट के समीप के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

सफरीभाठा एनीकट योजना, जिला - बिलासपुर

वृहद परियोजना (निर्मित)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र (हेक्टेयर)		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महानदी परियोजना समूह	रायपुर	1213.00	84.96	90.62	71.14	246.72	124951	0	124951
		बलौदा बा0						68320	0	68320
		धमतरी						63368	0	63368
		बालोद						18106	0	18106
		योग	1213.00	84.96	90.62	71.14	246.72	274745	0	274745
2	तांदुला जलाशय	बालोद	302.31	0	0	100.00	100.00	32656	0	32656
		दुर्ग						56015	0	56015
		बेमेतरा						16245	0	16245
		योग	302.31	0	0	100.00	100.00	104916	0	104916
3	सिकासार (पैरी) जलाशय	गरियाबंद	198.88	0	0	39.77	39.77	34118	23472	57590
		धमतरी						12146	10523	22669
		योग	198.88	0	0	39.77	39.77	46264	33995	80259
4	कोडार जलाशय	महासमुंद	149.02	0	0	29.80	29.80	16791	6718	23509
5	जोंक व्यपवर्तन	रायपुर	0	0	0	0	0	14969	0	14969
6	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	कोरबा	2894.33	414.67	14.00	0	428.67	6676	4178	10854
		जांजगीर–चांपा						143263	99214	242477
		सक्ती						96200	66770	162970
		रायगढ़						11911	8338	20249
		योग	2894.33	414.67	14.00	0	428.67	258050	178500	436550
7	खारंग जलाशय	बिलासपुर	190.32	0	0	26.50	26.50	48810	7500	56310
8	मनियारी जलाशय	मुगेंली	147.70	0	0	18.81	18.81	52238	3000	55238
योग 8 निर्मित वृहद परियोजनायें			5095.56	499.63	104.62	286.02	890.27	816783	229713	1046496

सोंढूर वितरक नहर

मध्यम परियोजना (निर्मित)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र (हेक्टेयर)		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुम्हारी जलाशय	रायपुर	11.30	0	0	2.27	2.27	1661	0	1661
		बलौदाबाजार						1473	0	1473
2	बलार जलाशय	बलौदाबाजार	36.63	0	0	7.32	7.32	8000	0	8000
3	केशवानाला जलाशय	महासमुंद	17.8	0	0	2.26	2.26	3846	0	3846
4	अपर जोंक परियोजना	महासमुंद	0	0	0	0	0	810	0	810
5	गोंदली जलाशय	बालोद	96.6	0	0	28.32	28.32	6990	0	6990
6	खपरी जलाशय	दुर्ग	11.68	0	0	0.73	0.73	4133	0	4133
		बालोद						998	0	998
7	मरोदा जलाशय	दुर्ग	31.96	6.39	0	0	6.39	445	0	445
8	खरखरा जलाशय	दुर्ग	141.69	58.00	15.00	4.00	77.00	1782	0	1782
		बालोद						20632	0	20632
9	मटियामोती जलाशय	राजनांदगांव	26.49	0	5.95	4.08	10.03	2070	900	2970
		बालोद						2930	600	3530
10	मोंगरा बैराज फेस–1	मोह.–मान.–अंबा.चौ.	23.65	0	0	4.73	4.73	1904	1331	3235
		राजनांदगांव						9196	0	9196
	मोंगरा बैराज फेस–2	मोह.–मान.–अंबा.चौ.						815	125	940
11	घुमरिया बैराज	राजनांदगांव	2.83	0	0	0	0	2000	150	2150
12	रूसे जलाशय	खैरा.–छुई.–गंडई	9.18	0	0	1.99	1.99	898	150	1048
		राजनांदगांव						1099	0	1099
13	धारा जलाशय	राजनांदगांव	5.08	0	0	1.49	1.49	1164	0	1164
14	पिपरिया जलाशय	खैरा.–छुई.–गंडई	40.56	0	4	4.10	8.10	6242	810	7052
15	शिवनाथ ब्यपवर्तन	राजनांदगांव	0	0	0	0	0	6870	0	6870
16	सरोदा जलाशय	कबीरधाम	30.14	1.41	1.00	3.62	6.03	7355	0	7355
17	छिरपानी जलाशय	कबीरधाम	50.25	0	0	10.05	10.05	7000	2100	9100
18	बहेराखार जलाशय	कबीरधाम	13.71	2.74	0	0	2.74	405	81	486
19	सुतियापाट परियोजना	कबीरधाम	36.83	0	0	7.03	7.03	8952	2900	11852
		खैरा.–छुई.–गंडई						768	0	768
20	कर्रानाला बैराज	कबीरधाम	18.09	0	0	3.61	3.61	3038	770	3808
		खैरा.–छुई.–गंडई						1412	0	1412
21	परालकोट जलाशय	कांकेर	63.55	0	0	0	0	9717	4858	14575
22	मयाना जलाशय	कांकेर	5.60	0	0	0	0	1483	0	1483
23	झीरमनदी व्यपवर्तन	सुकमा	0	0	0	0	0	2666	0	2666
24	पिंड्रावन जलाशय	रायपुर	10.60	0	0	2.12	2.12	2592	0	2592
25	कोसारटेडा परियोजना	बस्तर	63.70	0	0	12.74	12.74	7360	3760	11120
26	घोंघा जलाशय	बिलासपुर	30.08	0	0	4.57	4.57	8343	0	8343
27	केदार जलाशय	सारंगढ़–बिलाईगढ़	16.57	0	0	0.9.	0.90	7489	810	8299
28	पुटका जलाशय	सारंगढ़–बिलाईगढ़	6.61	0	0	0.35	0.35	1700	0	1700
29	किंकारी जलाशय	सारंगढ़–बिलाईगढ़	15.72	0	0	0.54	0.54	4048	0	4048
30	खम्हारपाकुट जलाशय	रायगढ़	19.38	0	0	3.87	3.87	3441	0	3441
31	मांड व्यपवर्तन	रायगढ़	0	0	0	0	0	2488	1620	4108
		सक्ती						6315	2753	9068
32	झुमका जलाशय	कोरिया	22.87	0	0	4.67	4.67	1801	1125	2926
33	गेज जलाशय	कोरिया	25.80	0	0	5.77	5.77	2720	1696	4416
34	कुंवरपुर जलाशय	सरगुजा	15.63	0	0	3.12	3.12	4251	0	4251
35	बांकी जलाशय	सरगुजा	17.07	0	0	3.41	3.41	0	3441	3441
36	श्याम घुनघुट्टा जलाशय	सरगुजा	62.05	0	0	12.41	12.41	8550	5400	13950
37	बरनई जलाशय	सरगुजा	11.36	0	0	2.23	2.23	1510	1310	2820
38	सूखानाला बैराज	राजनांदगांव	11.73	0	0	0	0	4970	1300	6270
योग 38 निर्मित मध्यम परियोजनाएं			**1002.79**	**68.54**	**25.95**	**142.3**	**236.79**	**196332**	**37990**	**234322**

3.3 निर्माणाधीन योजनाएं

3.3.1 वृहद परियोजना - 04 वृहद परियोजनायें, जिसमें अरपा भैंसाझार परियोजना, केलो परियोजना, राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन परियोजना एवं सोंढूर जलाशय परियोजना निर्माणाधीन है।

(I) अरपा भैंसाझार परियोजना - मुख्यमंत्री फ्लेगशिप योजना अंतर्गत शामिल यह परियोजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम—भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू. 1141.90 करोड़ है। योजना के पूर्ण होने से लगभग 25000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी, जिससे बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्ड के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना का शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत एवं नहर कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, कार्य प्रगति पर है। नवंबर 2022 तक 13,500 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। योजना को जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना की निर्माणाधीन वितरक प्रणाली से 12,970 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

(ii) केलो परियोजना - केलो जलाशय परियोजना से रायगढ़ एवं सक्ती जिले के 175 ग्रामों की 22810 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ—साथ रायगढ़ शहर के पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के निकट स्थापित उद्योगों को 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू. 972.22 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से दिसम्बर 2022 तक 17,475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। योजना का शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत एवं नहर कार्य 82.50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना से 6670 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

केलो बांध

राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन

(iii) राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन परियोजना— राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण का कार्य मई 2006 में पूर्ण कर 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत 28000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष इस योजना से 920 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

(iv) सोंढ़ूर जलाशय परियोजना - सोंढ़ूर जलाशय परियोजना धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी तहसील के ग्राम मेचका के पास सोंढ़ूर नदी पर स्थित है। योजना का शीर्ष कार्य पूर्ण है एवं नहर कार्य प्रगति पर है। योजना की पुनरीक्षित लागत रू. 564.79 करोड़ है। योजना से नगरी सिहावा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 66 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना की रूपांकित सिंचाई 12260 हेक्टेयर के विरूद्ध 11888 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। इस वर्ष इस क्षेत्र के 7561 हेक्टेयर रकबे में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

सोंढ़ूर जलाशय परियोजना

भाटापारा शाखा नहर -

भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 45.00 तक (महानदी जलाशय योजना अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 17882 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध 17882 हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2022–23 में 11632 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है एवं भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 45.00 से 61.00 तक (सोंढ़ूर जलाशय योजना अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 26210 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध 21455 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2022–23 में 13093 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 61.00 से 85.715 तक (राजीव समोदा व्यपवर्तन अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 23908 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध 18000 हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2022–23 में 10480 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है। योजना की समेकित रूपांकित क्षमता एवं सृजित सिंचाई तथा वास्तविक सिंचाई निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित रकबा (हे.)	जून 2022 की स्थिति में सृजित रकबा (हे.)	वर्ष 2022-23 में की गयी खरीफ सिंचाई (हे.)
01	भाटापारा शाखा नहर किमी. 0.00 से 45.00 तक (महानदी जलाशय वृहद परियोजना अन्तर्गत)	17882	17882	11632
02	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 45.00 से 61.00 तक (सोंढ़ूर जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत)	26210	21455	13093
03	भाटापारा शाखा नहर किमी. 61.00 से 85.715 तक (राजीव समोदा डायवर्सन वृहद परियोजना अंतर्गत)	23908	18000	10480
	योग :-	**68000**	**57337**	**35205**

भाटापारा शाखा नहर

गागर फीडर (मध्यम) सिंचाई परियोजना, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्माण से 14 ग्रामों के कुल 8064 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी, जिसके लिए 22 कि.मी. नहर निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

3.3.2 **लघु सिंचाई योजना** - 333 लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.3.3 **एनीकट / स्टापडेम / बैराज** - 221 एनीकट / स्टापडेम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नारंगी नदी में निर्मित खड़कघाट एनीकट योजना, जिला-कोण्डागांव का गूगल ईमेज दिनांक 08.05.2022, ग्रीष्म ऋतु में जहां एनीकट के D/S में नदी सूखी है, वहीं U/S में एनीकट के कारण नदी में जल भराव होना, एनीकट निर्माण की सार्थकता सिद्ध कर रहा है।

वृहद परियोजना (निर्माणाधीन)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र (हे.)		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	अरपा भैंसाझार परियोजना	बिलासपुर	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25000	0	25000
2	केलो परियोजना	रायगढ़	61.95	4.44	4.44	0.00	8.88	21596	0	21596
		सक्ती						1214	0	1214
		योग	61.95	4.44	4.44	0.00	8.88	22810	0	22810
3	राजीव समोदा व्यपवर्तन	रायपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	28000	0	28000
4	सोंढूर परियोजना	धमतरी	179.61	0.00	0.00	60.50	60.50	16686	0	16686
		बलौदाबाजार						27090	0	27090
		योग	179.61	0.00	0.00	60.50	60.50	43776	0	43776
योग निर्माणाधीन 4 वृहद परियोजनायें			263.74	4.44	4.44	60.50	69.38	119586	0	119586
महायोग निर्मित, निर्माणाधीन कुल 12 वृहद परियोजनायें			5359.30	504.07	109.06	346.52	959.65	936369	229713	1166082

राजीव समोदा व्यपवर्तन योजना

3.3.4 औद्योगिक बैराज

प्रस्तावित 06 बैराज यथा समोदा बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज, कलमा बैराज एवं शिवरीनारायण बैराज का कार्य पूर्ण है। इन बैराजों से 14 उद्योगों को 560.79 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटित है, जिसमें शासन को प्रतिवर्ष रू. 588.83 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होगी। उद्योगों से 21090 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। इन योजनाओं से कृषकों को भी स्वयं के साधन से 2804 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

स.क्र.	बैराज का नाम	जिला	निर्माण लागत (करोड़ में)	लाभान्वित उद्योगों की संख्या	औद्योगिक संस्थानों को आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	कृषकों द्वारा स्वंय के व्यय से सिंचाई (हेक्टेयर में)
1	समोदा	रायपुर	76.50	01	25.00	29.94	-
2	शिवरीनारायण	जांजगीर–चांपा	122.61	02	125.00	37.00	690
3	बसंतपुर	जांजगीर–चांपा	233.60	01	27.00	50.62	640
4	मिरौनी	सक्ती	348.37	01	35.00	52.65	830
5	साराडीह	सक्ती	399.02	04	244.83	54.24	333
6	कलमा	सक्ती	182.03	05	123.96	50.64	311
योग			**1362.13**	**14**	**560.79**	**275.09**	**2804**

शिवरीनारायण बैराज

भाग - 4

विभागीय सिंचाई सांख्यिकी

सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर पर कार्य योजना :-

सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टापडेम, बैराज एवं नलकूप इत्यादि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित थी तथा 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था।

वर्तमान में दिसंबर 2022 की स्थिति में 08 वृहद, 38 मध्यम एवं 2466 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 801 एनीकट/स्टापडेम निर्मित हैं, इनके साथ ही 04 वृहद एवं 333 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 221 एनीकट/स्टापडेम/बैराज निर्माणाधीन हैं।

राज्य में मार्च 2018 तक 20.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की गयी थी, परन्तु योजनाओं के जल प्रबंधन में खामियों के चलते इस निर्मित क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर तक ही हो पाती थी। विगत 4 वर्षों में योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं निर्मित तथा वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने हेतु विभाग ने विशेष ध्यान देकर कार्ययोजना बनाई तथा पुरानी जीर्ण योजनाओं के उन्नयन एवं जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के प्रयास किये हैं। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2021—22 तक सृजित सिंचाई क्षमता 21.44 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध गत वर्ष 1286148 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई तथा 54976 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई, इस प्रकार कुल 1341124 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस वर्ष 2022—23 में दिसम्बर 2022 तक सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध 1305451 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

इन योजनाओं से दिसम्बर 2022 तक कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21.49 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात् 8.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभाग के रूपांकित एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने के प्रयासों के फलस्वरूप ऐसा हो सका है।

इसके अतिरिक्त राज्य में निजी स्त्रोतो (कुआं, तालाब, ट्यूबवेल आदि) से भी काफी बड़े रकबे में सिंचाई उपलब्ध होती है, जिसके आकड़े विभाग में उपलब्ध नही थे। जल संसाधन विभाग ने सम्पूर्ण प्रदेश में निजी स्त्रोतो से की जा रही सिंचाई के आकड़े भी संकलित किये है। लगभग 9,40,240 हेक्टेयर रकबे में निजी स्त्रोत से सिंचाई के साधन उपलब्ध है। इस तरह शासकीय तथा निजी स्त्रोतो से की गयी कुल वास्तविक सिंचाई 2246092 हेक्टेयर हो गयी है।

इस प्रकार प्रदेश में बोया गया रकबा के विरूद्ध शासकीय स्त्रोतो से सृजित सिंचाई का प्रतिशत 38.80% एवं समस्त स्त्रोतो (शासकीय एवं निजी) से की गयी कुल वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत 40.54% हो गया है।

जिलेवार सिंचाई

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

स.क्र.	जिले का नाम	कुल बोया गया क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई का प्रतिशत	वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (विगत पांच वर्षो का औसत)	वर्ष 2022-23 में कुल शासकीय स्रोत से वास्तविक सिंचाई			वर्ष 2022-23 में कुल वास्तविक सिंचाई (निजी + शासकीय)			बोया गया क्षेत्र के विरूद्ध कुल वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत
						खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	धमतरी	210079	120056	57.15	99086	89458	0	89458	119530	13627	133157	63.38
2	रायपुर	195365	153133	78.38	105994	109473	0	109473	132202	11939	144141	73.78
3	बालोद	242734	116879	48.15	94726	88584	0	88584	116933	22392	139325	57.40
4	मुंगेली	213631	78978	36.97	54613	62636	0	62636	83578	16960	100538	47.06
5	दुर्ग	180887	90724	50.15	64332	66729	0	66729	104305	32070	136375	75.39
6	बलौदाबाजार–भाटापारा	254289	142399	70.38	103364	105326	0	105326	219188	14034	233222	43.66
7	सारंगढ़–बिलाईगढ़		36579		26872	29516	0	29516				
8	रायगढ़	279916	72501	25.90	32073	36345	10	36355				
9	महासमुन्द	302444	70327	23.25	40409	41758	0	41758	89360	33621	122981	40.66
10	बिलासपुर	181374	141760	78.16	94375	105001	11	105012	134141	18110	152251	83.94
11	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	69703	25702	36.87	9732	12666	0	12666	15916	666	16582	23.79
12	जांजगीर–चांपा	269343	232634	152.31	145351	135855	0	135855	236862	6259	243121	90.26
13	सक्ती		177601		99851	94959	0	94959				
14	कबीरधाम (कवर्धा)	266846	64241	24.07	33010	35919	0	35919	100709	51360	152069	56.99
15	गरियाबंद	157652	86516	54.88	43374	49644	0	49644	69187	13164	82351	52.24
16	बेमेतरा	345437	63699	18.44	25932	31960	0	31960	123827	81811	205638	59.53
17	कोरबा	134588	29720	22.08	15407	16170	0	16170	18918	0	18918	14.06

स. क्र.	जिले का नाम	कुल बोया गया क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई का प्रतिशत	वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (विगत पांच वर्षों का औसत)	वर्ष 2022-23 में कुल शासकीय स्रोत से वास्तविक सिंचाई			वर्ष 2022-23 में कुल वास्तविक सिंचाई (निजी + शासकीय)			बोया गया क्षेत्र के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत
						खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	राजनांदगांव	494466	72258	26.94	42955	50076	0	50076	152438	46561	198999	40.25
19	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी		16458		8656	9763	0	9763				
20	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई		44519		30231	31564	0	31564				
21	कांकेर	223722	47255	21.12	20168	20489	0	20489	50560	0	50560	22.60
22	बीजापुर	65487	5718	0.09	861	651	0	651	763	0	763	1.16
23	सरगुजा	178602	68537	38.37	25561	26940	0	26940	28703	328	29031	16.25
24	जशपुर	257051	35888	13.96	14103	12387	0	12387	14402	55	14457	5.62
25	बलरामपुर–रामानुजगंज	177332	30380	17.13	10475	5521	0	5521	8285	135	8420	4.75
26	कोरिया	107814	19383	29.96	7924	6550	0	6550	12973	687	13660	12.67
27	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर		12914		3589	3990	0	3990				
28	सूरजपुर	174087	16972	0.10	6984	4935	0	4935	15791	1918	17709	10.17
29	बस्तर	175873	33583	19.10	14233	17503	0	17503	21925	5	21930	12.47
30	कोंडागांव	144563	15522	10.74	1374	738	0	738	6474	0	6474	4.48
31	दंतेवाड़ा	99009	8588	0.09	1323	1790	0	1790	1998	0	1998	2.02
32	नारायणपुर	32040	4463	0.14	404	570	0	570	730	0	730	2.28
33	सुकमा	105905	13793	0.13.	100	259	0	258	475	217	692	0.65
	योग	**5540239**	**2149680**	**38.80**	**1277442**	**1305451**	**21**	**1305472**	**1805350**	**365909**	**2246092**	**40.54**

1. शासकीय स्रोतो से सिंचाई का प्रतिशत :– (सृजित सिंचाई क्षमता / कुल बोया गया रकबा) X 100
=(2149680/5540239) X 100 = 38.80%

2. समस्त स्रोतो से सिंचाई का प्रतिशत :– (कुल वास्तविक सिंचाई / कुल बोया गया रकबा) X 100
= (2246092/5540239) X 100 = 40.54%

विभाग के कार्यकलापों के प्रमुख मापक (Indices)

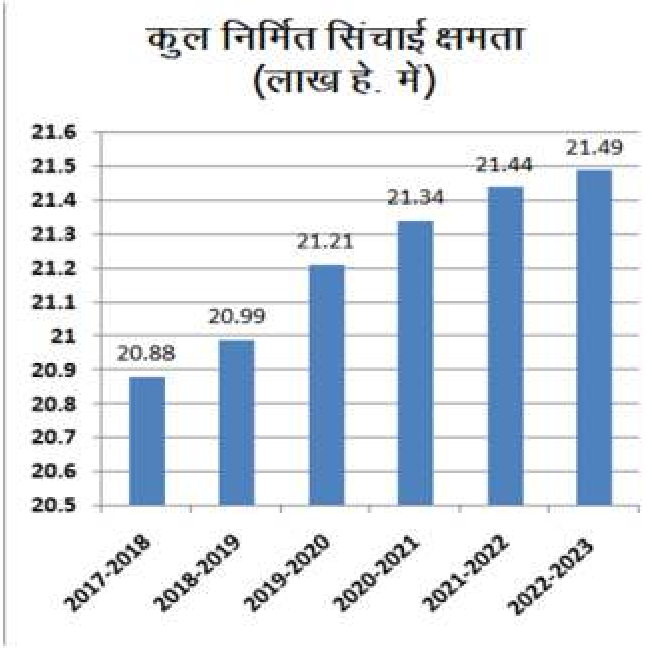

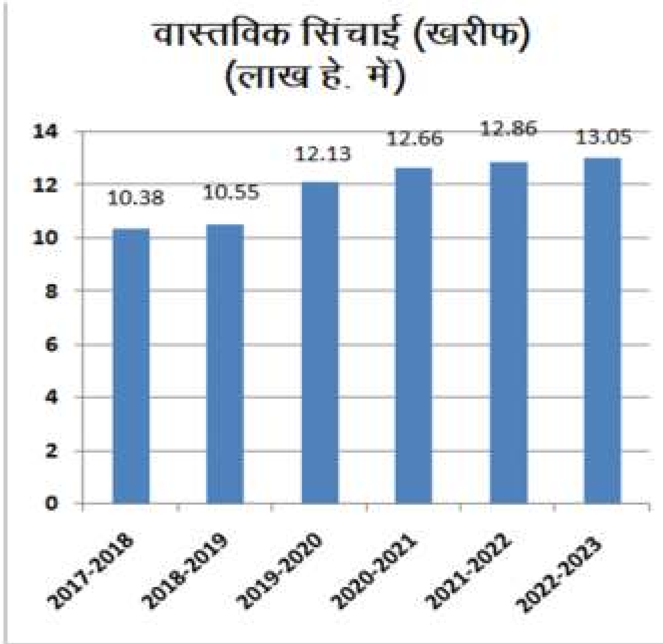

राज्य गठन के पश्चात् निर्मित सिंचाई क्षमता में उत्तरोत्तर वर्षवार वृद्धि हुई है। वर्षवार सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि निम्नानुसार है :-

अवधि	निर्मित सिंचाई क्षमता (हे.में)	कुल निर्मित सिंचाईक्षमता (लाख हे.में)
01 नवंबर 2000	-	13.28
नवंबर 2000 से मार्च 2001	12000	13.40
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	71000	14.11
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	42000	14.53
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	98000	15.51
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	75000	16.26
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	55000	16.81
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	41000	17.22
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	36000	17.58
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	13700	17.71
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	17400	17.89
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	20000	18.09
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	35000	18.44
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	34000	18.78
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	26000	19.04
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	25000	19.29
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	22000	19.51
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	101000	20.52
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	26000	20.88
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	11000	20.99
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	22000	21.21
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	13000	21.34
अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक)	10000	21.44
अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक)	5000	21.49

सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई (खरीफ)

(रकबा- लाख हेक्टेयर में)

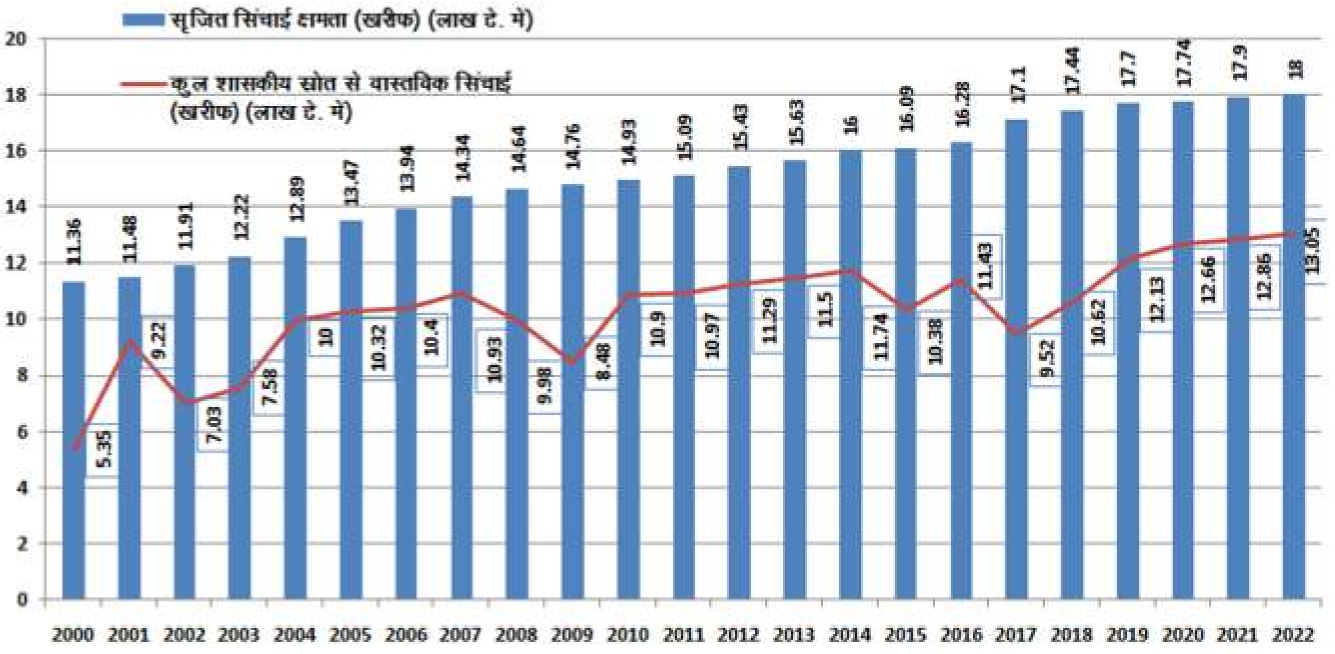

सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई (खरीफ एवं रबी)

(रकबा- लाख हेक्टेयर में)

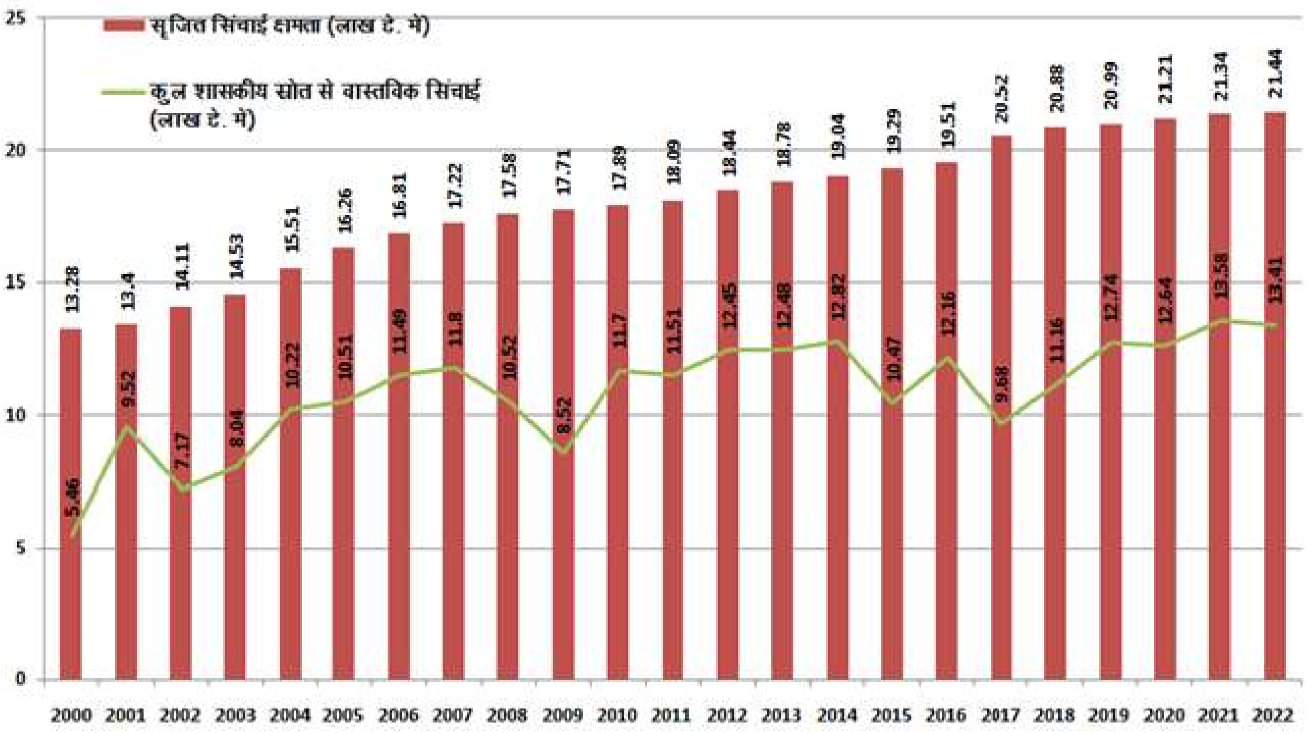

झिपनिया स्टापडेम

- ग्रीष्मकाल में सिंचाई योजनाओं से प्रदेश के 2689 ग्रामों के लगभग 4880 तालाबों को भरा गया है, जिनसे ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्रो में जन सामान्य तथा पशुधन की निस्तारी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है।

मांढ़र शाखा नहर

भाग - 5
विभागीय बजट एवं राजस्व

5.1 वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2022–23 के विभागीय बजट में रू. 3323.14 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

(राशि रुपये करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	बजट प्रावधान वर्ष 2022–23	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24 विभाग द्वारा प्रस्तावित
जल संसाधन विभाग			
I	राजस्व अनुभाग	674.54	786.28
II	पूंजी अनुभाग	2648.60	3058.04
योग		3323.14	3844.32

5.2 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके।

वर्ष 2022–23 में पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट प्रावधान राशि रु. 2648.60 करोड़ में से आदिवासी उपयोजना मद में राशि रु. 663.52 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि कुल पूंजी अन्तर्गत विभागीय बजट का 25.05% है। इस उपयोजना में दिसंबर 2022 तक कुल रु. 159.14 करोड़ व्यय हुआ है।

5.3 अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत ऐसी योजनाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके।

वर्ष 2022–23 में कुल पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट प्रावधान राशि रु. 2648.60 करोड़ में से अनुसूचित जाति उपयोजना मद के अंतर्गत राशि रु. 145.60 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि कुल पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट का 5.49% है। इस उपयोजना में दिसंबर 2022 तक कुल रु. 34.15 करोड़ व्यय हुआ है।

5.4 वर्षवार आबंटन एवं व्यय की राशि -

विगत 9 वर्षों में विभाग को आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण अग्रानुसार है :–

विभाग के कार्यकलापों के प्रमुख मापक

दिसंबर 2022 तक
राशि रु. करोड़ में

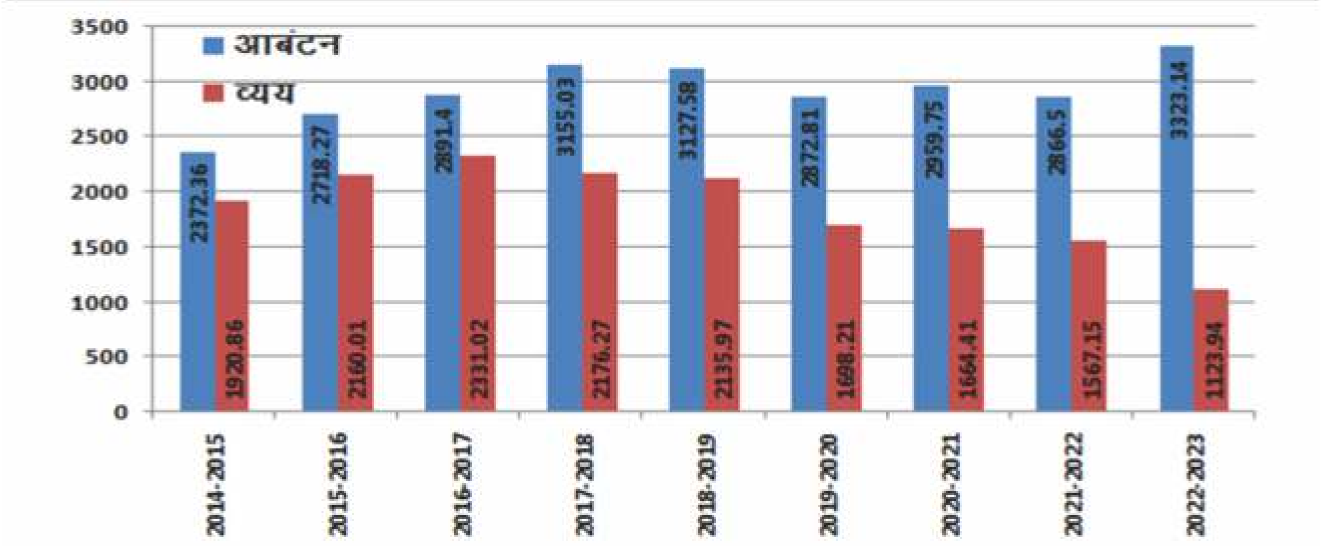

5.5 सिंचाई राजस्व- लक्ष्य एवं उपलब्धियां

विभाग, सिंचाई योजनाओं से कृषि प्रयोजन, नगरीय निकायों को पेयजल, निस्तारी, औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को जल उपलब्ध कराता है।

5.5.1 कृषि प्रयोजन -

15 जून, 1999 से संपूर्ण राज्य में विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी तालाबों, नहरों इत्यादि से कृषि हेतु जल प्रदाय के लिये निम्नलिखित तालिका के स्तंभ में वर्णित सभी फसलों के लिए उनके सम्मुख स्तंभ तीन के अनुसार जल दर लागू है :–

छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं से कृषि जल प्रदाय की जल दर तालिका (प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)		
स.क्र.	फसलों के नाम	जल दर रूपये प्रति एकड़ में
(1)	(2)	(3)
1.	धान–खरीफ	81
	धान–रबी	200
2.	गेहूं (1) पलेवा सहित अधिकतम तीन पानी	81
	(2) प्रत्येक अतिरिक्त पानी	25
3.	केला, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	300
4.	हरी घांस वाली फसलें, मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल्ली, अरहर (खरीफ), उड़द	50

5.	धनिया, चना, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, कुसुम,सूरजमुखी, सोयाबीन (रबी), अरहर (रबी)	100
6.	कपास – साधारण	70
	हायब्रीड (विपुल)	150
7.	जौ, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी,घुंइया, मेथी , अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियाँ	200
8.	वर्सिम घास (फाडर क्राप)	150
9.	जमीन तैयार करने के लिये पानी (पलेवा)	40

टीप :- सिंचाई अधिनियम 1931 की जलदर अनुसूची की धारा 100 के अंतर्गत घ (1) के तहत रू. 10.00 प्रति एकड़ की दर से उपकर लिये जाने का प्रावधान है।

5.5.2 पेयजल एवं निस्तारी

नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को घरेलु उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की गई है। यह दर दिनांक 01.04.2000 से प्रभावशील है, इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे की वृद्धि होती है। इस प्रकार वर्तमान में (दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक) रू. 0.64/घनमीटर की पेयजल दर प्रचलित है। प्रदेश में 80 नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण समूहों को पेयजल हेतु विभिन्न संरचनाओं से 401.76 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटित है। जिससे वर्तमान में प्रचलित पेयजल–दर (रू. 0.64/घनमीटर) अनुसार कुल रू. 25.71 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

5.5.3 औद्योगिक प्रयोजन

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3483/7–ए/जसं./तशा/ डी–4/औजप्र/01, दिनांक 21.10.2020 द्वारा निम्नलिखित जल दर प्रभावशील है :–

स.क्र.	उपयोग का प्रकार	विशेष विवरण		जल–दर	टीप
1	2	3		4	5
1	औद्योगिक प्रयोजन/ ताप विद्युत प्रयोजन	अ	शासकीय स्त्रोत से :–		
		1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से		
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रू. 10.50 प्रति घ.मी.	–
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल–कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रू. 10.50 प्रति घ.मी.	–
		2	नहर प्रणाली से	रू. 12.25 प्रति घ.मी.	–

		ब	**नैसर्गिक स्त्रोत से :–**		
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से ...	रू. 5.00 प्रति घ.मी.	–
		(ii)	भू–जल से	रू. 10.00 प्रति घ.मी.	इस जल–दर पर प्राप्त जल–कर की शत् प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित "भू–जल संरक्षण कोष" में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू–जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।
		स	**स्वनिर्मित स्त्रोत से ....**	रू. 3.50 प्रति घ.मी.	–
2	ऐसे उद्योग (जैसे–कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रुप में करते हैं	**अ**	**शासकीय स्त्रोत :–**		इन जल–दरों पर प्राप्त जल–कर की शत् प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित "भू–जल संरक्षण कोष" में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू–जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।
		1	बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से		
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रू. 200.00 प्रति घ.मी.	
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल–कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रू. 200.00 प्रति घ.मी.	
		2	नहर प्रणाली से	रू. 200.00 प्रति घ.मी.	
		ब	**नैसर्गिक स्त्रोत से :–**		
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से	रू. 100.00 प्रति घ.मी.	
		(ii)	भू–जल से	रू. 250.00 प्रति घ.मी.	
		स	**स्वनिर्मित स्त्रोत से ......**	रू. 80.00 प्रति घ.मी.	–
3	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुनः प्राप्ति)	**अ**	**शासकीय स्त्रोत :–**		
(क)	25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना	1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से	रू. 1.07 (एक रू. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस	–
		2	नहर प्रणाली से	रू. 1.25 (एक रू. पच्चीस पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उत्पादन पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस	–
		ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से	रू. 0.35 (पैतीस पैसे)/ वि.ई.उ. पर	–
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें		शासकीय/नैसर्गिक/ स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्त्रोत से	रू. 0.06 (छः पैसे)	–

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल–दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 21.10.2020) से प्रभावशील रहेंगी।

3. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

4. औद्योगिक जल–दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 की तालिका के स.क्र. –1, अ–1 (ii) "विशेष विवरण" अंतर्गत उल्लेखित "संस्थानों की अग्रिम जल–कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से ....." की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल–दर रु. 5.50/घ.मी. ही लागू रहेगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू–अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल–कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल–कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र.–1, कॉलम क्रमांक–3 के बिन्दु क्र.–1 (i) "शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना" अंतर्गत कॉलम क्रमांक–4 में प्रस्तावित जल–दर रू. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।

5.5.4 उपलब्ध जल का समुचित उपयोग

विभाग द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के अतिरिक्त निस्तारी तालाबों में भी नहरों द्वारा प्रतिवर्ष जल प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2022 में भी 2689 ग्रामों के 4880 तालाबों को निस्तार हेतु जल प्रदाय किया गया। विकासशील नया रायपुर शहरी क्षेत्र में वर्ष 2040 तक पेयजल की सुविधा के दृष्टिगत ग्राम टीला तथा ग्राम रावर के समीप महानदी पर दो एनीकट का निर्माण किया गया है।

विभाग की निर्मित मिनीमाता (हसदेव) बांगो जलाशय परियोजना (कोरबा), रविशंकर सागर जलाशय परियोजना (धमतरी) एवं सिकासार जलाशय परियोजना (गरियाबंद) में क्रमशः 120, 10 एवं 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे लाखों टन कोयले की बचत हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में एन.टी.पी.सी. एवं राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों, निजी ताप विद्युत संयंत्रों,

बड़े उद्योगों तथा बाल्को इत्यादि 176 संयंत्रों को 2244.889 मि.घ.मी. जल आबंटित है। इन संयंत्रों से 61715.65 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, जिससे शासन को राशि रू. 2357.13 करोड़ वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

हसदेव बैराज दर्री (मिनीमाता बांगो परियोजना) के दांयी तट मुख्य नहर एवं बांयी तट मुख्य नहर से नगर निगम कोरबा, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल एवं एन.टी.पी.सी. कोरबा, सहित अन्य सस्थानों को जल प्रदाय कर परियोजना से शासन को प्रतिवर्ष लगभग रू. 375 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।

5.5.5 वर्ष 2003-04 से वर्ष 2022-23 तक सिंचाई, उद्योग, पेयजल आदि से राजस्व वसूली के आंकड़े

राशि रु. लाख में

स. क्र.	वर्ष	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष राशि	चालू वर्ष की मांग राशि	कुल राशि (3+4)	वसूली			शेष राशि (5-8)
					अवशेष राशि	चालू मांग से	कुल वसूली (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**2003-04**	9994.05	6080.58	16074.63	1919.89	2975.74	**4895.63**	11179.00
2	**2004-05**	11179.00	6357.66	17536.66	1058.88	4485.14	**5544.02**	11992.64
3	**2005-06**	11992.64	5064.28	17056.92	878.38	3469.69	**4348.07**	12708.85
4	**2006-07**	12708.85	10293.90	23002.75	3619.13	7461.48	**11080.61**	11922.14
5	**2007-08**	11922.14	11519.33	23441.47	1987.65	9632.45	**11620.10**	11821.37
6	**2008-09**	11821.37	13111.68	24933.05	1310.51	11998.27	**13308.78**	11624.27
7	**2009-10**	11624.27	76932.49	88556.76	855.29	46736.99	**47592.28**	40964.48
8	**2010-11**	40964.48	109480.14	150444.62	1313.91	63831.59	**65145.50**	85299.12
9	**2011-12**	85299.12	33392.98	118692.10	3019.17	51089.13	**54108.30**	64583.80
10	**2012-13**	64583.80	63280.63	127864.43	5151.80	53866.86	**59018.66**	68845.77
11	**2013-14**	68845.77	77140.82	145986.59	3136.79	78513.36	**81650.15**	64336.44
12	**2014-15**	64336.44	91338.59	155675.03	3045.74	58774.42	**61820.16**	93854.87
13	**2015-16**	93854.87	64229.83	158084.70	8520.84	56361.24	**64882.08**	93202.62
14	**2016-17**	93202.62	151335.30	244537.92	5225.92	56410.48	**61636.40**	182901.52
15	**2017-18**	182901.52	94669.75	277571.00	9698.70	55766.01	**65464.71**	212106.56
16	**2018-19**	212106.56	85764.47	297871.03	15308.59	51460.81	**66769.40**	231101.63
17	**2019-20**	207039.97	85584.17	292624.14	10293.51	50808.49	**61102.00**	231522.14
18	**2020-21**	255071.58	108788.99	363860.57	10656.23	60486.72	**71142.95**	292717.62
19	**2021-22**	264779.22	88719.31	353498.52	9327.93	55377.98	**64705.91**	288792.61
20	**2022-23** (जनवरी 2023 तक)	317468.64	85884.01	403352.65	15898.58	36292.17	**52190.75**	351161.90

भाग - 6
अभिनव कार्य योजना

6.1 सिंचित क्षेत्र और सृजित सिंचाई में अंतर

पाँच वर्ष पूर्व (2017) राज्य की सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई का अंतर 10.8 लाख हे. था, जिसे बेहतर प्रबंधन एवं जीर्ण योजनाओं के सुधार द्वारा कमी किया जाकर 8.0 लाख हे. किया गया है, इस प्रकार लगभग 2.8 लाख हे॰ अतिरिक्त भूमि पर उपलब्ध जल से सिंचाई सुनिश्चित की गई है। विगत पाँच वर्षों में वास्तविक सिंचाई 9.68 लाख हे. से बढ़ाकर 13.41 लाख हे. की गई है। सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर (8.0 लाख हे.) को पाटने वृहद् पैमाने पर पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार, सिंचाई में नई तकनीक ड्रिप, सोलर, पाइप एरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में 2.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित कर तथा खुली नहरों के स्थान पर भूमिगत पाईप लाईन से सिंचाई कर दक्षता में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

वर्ष 2022-23 में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की कार्य योजना

1	नवीन योजनाओं से	—	5000 हेक्टेयर
2	निर्माणाधीन योजनाओं से	—	35000 हेक्टेयर
3	निर्मित योजनाओं में सृजित क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने का प्रस्ताव	—	106000 हेक्टेयर
4	निर्मित योजनाओं में मनरेगा एवं विभागीय मद अभिसरण से काडा नाली निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि	—	32000 हेक्टेयर
5	मनरेगा आदि मद् से निर्मित योजनाओं में सिंचाई क्षमता में वृद्धि	—	22000 हेक्टेयर
	कुल :-	-	**200000 हेक्टेयर**

इस वर्ष अब तक सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं जीर्ण योजनाओं के जीर्णोद्धार द्वारा 13.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 मे अब तक कुल 256 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है, जिनसे 50466 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार/प्रतिस्थापन प्रस्तावित है।

वर्ष 2022-23 में नवीन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

(दिनाँक 25.01.2023 की स्थिति में)

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की संख्या एवं राशि		प्रस्तावित सिंचाई (हे. में)
		संख्या	राशि	
1	जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़	256	रू. 87942.66 लाख	50466 हे.

6.2 काडा नाली का निर्माण (मनरेगा एवं विभागीय मद के अभिसरण से)

- निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई में हो रही कमी को दूर करने हेतु मनरेगा एवं विभागीय मद् के अभिसरण से काडा नाली निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि की भी कार्य योजना है।
- यह कार्य काडा नाली निर्माण (CAD Work) एवं मनरेगा मद् से कराया जाएगा। प्रदेश के सभी 33 जिलों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु लगभग 32000 हेक्टेयर क्षेत्र में काडा नाली निर्माण का लक्ष्य है। इसी तरह आने वाले वर्षों में लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में क्षमता वृद्धि (Restore) करने का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त सिंचाई जलाशयों से प्रतिवर्ष निस्तारी हेतु तालाबों को भरे जाने हेतु स्थायी विकल्प के तहत् काडा नालियों का निर्माण करने का लक्ष्य है।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत नहर से निस्तारी तालाबों तक काडा नाली निर्माण किया जाना है। जहाँ काडा नाली पूर्व से निर्मित है, वहाँ काडा नाली से निस्तारी तालाबों को जोड़ा जावेगा, ताकि जल का अपव्यय रोककर उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके।

आगामी 02 वर्षों में काडा नालियों का निर्माण कर निस्तारी तालाबों को जोड़ने का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 500 मि.घ.मी. प्रतिवर्ष जल की बचत होगी। इस बचत जल का उपयोग अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में होगा।

काडा नहर, ओटेबंद

6.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य की 03 योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

6.3.1 केलो वृहद सिंचाई परियोजना :-

वर्ष 2008–09 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल इस योजना की लागत रूपये 598.91 करोड़ एवं 22810 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रू. 972.22 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है। केन्द्रीय सहायता के रुप में अब तक रूपये 81.212 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। योजना पर 12/2022 तक कुल रूपये 682.877 करोड़ रूपये ए.आई.बी.पी के अंतर्गत व्यय कर 17475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गई। योजना का शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत एवं नहर कार्य 82.50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना से 6670 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत CAD&WM कार्य की लागत रूपये 81.41 करोड़ शामिल है। CAD&WM कार्य के तीन ग्रुप में एजेन्सी निर्धारित कर कार्य प्रगति पर है एवं तीन ग्रुप में निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.3.2 खारंग वृहद सिंचाई परियोजना :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 8300 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य प्रस्तावित है। जिसकी लागत रूपये 33.18 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 33.06 करोड़ की प्रदान की जा चुकी है। इस कार्य हेतु रूपये 27.05 करोड़ की आमंत्रित निविदाओं में 2 ग्रुप राशि रूपये 8.17 करोड़ एवं 11.11 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है तथा तीसरे ग्रुप की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रथम ग्रुप में सर्वेक्षण उपरांत ड्राइंग अनुमोदित कराकर दिसम्बर 2022 तक लगभग 95 प्रतिशत भौतिक तथा लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय रूप से पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय ग्रुप में सर्वेक्षण उपरांत ड्राइंग अनुमोदित कराकर दिसम्बर 2022 तक लगभग 30 प्रतिशत भौतिक तथा लगभग 20 प्रतिशत वित्तीय रुप से पूर्ण किया गया है। योजना पर 12/2022 तक रूपये 9.64 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

6.3.3 मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 11515 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य की लागत रूपये 45.37 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 45.93 करोड़ प्रदान की गई है। इस कार्य हेतु रूपये 38.83 करोड़ का 4 समूहों में आमंत्रित निविदाओं में से तीन ग्रुप क्रमशः राशि रूपये 9.45 करोड़, रूपये 11.01 करोड़ व रूपये 11.00 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये हैं, जिसका ड्राईंग एवं रुपांकन के अनुमोदन पश्चात् सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 11515 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित यू.पी.व्ही.सी. पाईप लाईन के विरुद्ध 1363.68 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य कर

रुपये 11.96 करोड़ का कार्य संपादित किया जा चुका है, वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। चौथे ग्रुप की निविदा की राशि रुपये 10.45 करोड़ में एकल निविदाकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त कर पुनः तृतीय निविदा आमंत्रित की गयी है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

6.4 नाबार्ड पोषित योजनाएं :-

प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राज्यमद् के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा नाबार्ड से वर्ष 1995–96 से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। नाबार्ड अंतर्गत 20वें चरण तक के स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 21वें चरण से 28वें चरण तक कुल 159 योजनाएं/कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 69 योजनाओं/कार्यों को पूर्ण कर 98,858 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। नाबार्ड अंतर्गत 21वें चरण से 28वें चरण की चरणवार जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क्र.	चरण	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि			रूपांकित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	सृजित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	पूर्ण योजनाएं
			नाबार्ड अंश (रू. लाख)	राज्यांश (रू. लाख)	योग (रू. लाख)			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	21	19	20580.33	1139.89	21720.22	43606.40	12879.00	13
2	22	19	18362.87	973.76	19336.63	237782.70	70803.00	17
3	23	17	17439.89	1209.15	18649.04	26317.64	2365.00	06
4	24	28	31712.03	2225.28	33937.31	35585.93	8338.00	13
5	25	32	21407.88	1102.02	22509.90	41144.38	1713.00	13
6	26	21	11923.97	627.54	12551.51	16972.19	2160.00	06
7	27	07	6336.03	333.48	6669.51	16314.81	600.00	01
8	28	16	9219.07	485.22	9704.29	22636.32	0.00	00
योग		159	136982.07	8096.34	145078.41	440360.37	98858.00	69

तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार (नाबार्ड पोषित) जिला : बालोद

6.5 मिशन अमृत योजना :-

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लागू मिशन अमृत (अटल शहरी नवीनीकरण एवं परिवर्तन मिशन) अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति छत्तीसगढ़ में लिए गये निर्णय अनुसार 6 नगर पालिक निगमों को विभाग की सिंचाई योजनाओं से पेयजल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की गई, जो निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नगर पालिक निगम	सिंचाई जलाशय/स्त्रोत	आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी. वार्षिक)
1	राजनांदगांव	खरखरा जलाशय परियोजना	23.00
2	जगदलपुर	इन्द्रावती नदी में निर्मित कुम्हरावण्ड एनीकट	17.42
3	अंबिकापुर	घुनघुट्टा जलाशय परियोजना	6.57
4	बिलासपुर	खारंग जलाशय परियोजना	31.00
5	रायगढ़	केलो वृहद सिंचाई परियोजना	18.00
6	कोरबा	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	23.03

राज्य की वर्तमान एवं भविष्यत् पेयजल आवश्यकताएं :-

वर्ष 2020 की स्थिति में		वर्ष 2040 की स्थिति में		वर्ष 2051 की स्थिति में	
जनसख्या (करोड़ मे)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक	जनसख्या (करोड़ मे)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक	जनसख्या (करोड़ मे)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक
2.94	**677.206**	**4.63**	**1508.587**	**5.29**	**2093.786**

छत्तीसगढ़ राज्य की जल–नीति के अनुसार पेयजल एवं निस्तार हेतु राज्य के निवासियों को जल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित जल संग्रहण योजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत जल आरक्षित रखा गया है। अतः सभी नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजनाओं को निकटतम जल स्त्रोतों से जल आबंटन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन की मिशन अमृत योजना अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर पेयजल हेतु प्राथमिकता के आधार पर जल आबंटन किया जा रहा है।

6.6 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना-तृतीय चरण (2016-2024)

योजना का उद्देश्य जल संबंधी आंकड़ों की जानकारी सुदृढ़ करना है, जिससे कि जल नीति निर्धारक एवं जल स्रोत संरक्षण करने वाले विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न परियाजनाओं के क्रियान्वयन में की जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन की योजनाओं और उसका संचालन करने के लिये देश व्यापी डाटाबेस तैयार करना एवं ज्ञानसंवर्धन तथा आधुनिकीकरण करना है। इसके अंतर्गत रियल टाईम डाटा के आधार पर जल प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण का कार्य विभिन्न वैज्ञानिक मॉड्यूल के आधार पर किया जाना है। परियोजना का द्वितीय चरण मई–2014 में पूर्ण कर लिया गया था।

परियोजना के तृतीय चरण हेतु भारत सरकार, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली एवं छ.ग. शासन के मध्य अनुबंध हुआ है। योजना की पुनरीक्षित लागत रू. 34.45 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा योजना हेतु शत प्रतिशत राशि प्रदान की जावेगी। योजना अंतर्गत अब तक रू 15.78 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। योजनागत कार्य प्रगति पर है।

Real Time Data Acquisition System (RTDAS) के अंतर्गत 129 स्थलों के वर्षामापन, 28 नदियों एवं 39 जलाशयों में जल मापन तथा 6 स्थलों में मौसम के आंकड़ों के मापन हेतु स्वचालित उपकरण की स्थापना की जा रही है। Ground Water मापन कार्य हेतु 190 स्वचालित Digital Water Level Recorder (DWLR) Telemetry की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। राज्य के 24 प्रमुख बांधो का Sedimentation Survey का कार्य प्रगति पर है।

वाटर लेवल रिकॉर्डर

स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट

दिनांक 28.09.2022 को प्रोस्पेक्टिव प्लान ऑन एग्रीकल्चर एण्ड अलाईड सेक्टर विषय पर आयोजित सेमिनार में श्री अन्बलगन पी., सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा संबोधन

6.7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा सिंचाई क्षमता के पुर्नस्थापन हेतु वर्ष 2022—23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 33 जिलों में वर्तमान में कुल 1241 कार्य स्वीकृत हुये हैं। जिनकी लागत रू. 237.62 करोड़ है, जिसके विरुद्ध कुल 423 कार्य पूर्ण किए गए एवं 664 कार्य प्रगतिरत है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु जल संसाधन से संबंधित छोटी—छोटी आंशिक योजनाओं की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तकनीकी मार्गदर्शन व देखरेख जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। कार्य से संबंधित समस्त प्रतिवेदन मैदानी अमले द्वारा सीधे संबंधित कलेक्टर को दिये जाते हैं। विकास आयुक्त, पंचायत विभाग इन कार्यों के राज्य स्तरीय प्रमुख हैं।

6.8 सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :-

प्रदेश की विभिन्न नदियों / नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई हैं। उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग के लिये सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाई गई है।

6.9 सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से सिंचाई एवं जल संवर्धन का कार्य :-

- योजनाओं से कम पानी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होगी तथा खाद की भी बचत होगी एवं बचत जल से असिंचित क्षेत्र में भी सिंचाई की जा सकेगी।
- लाभान्वित फसल — खरीफ, रबी
- कुल स्वीकृत योजनाएं — 35 (14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है)
  कुल प्रस्तावित सिंचाई — 10957 हेक्टेयर
- कुल प्रस्तावित योजनाएं — 157
- सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कृषकों का संगठन (F.P.O.) बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ और फसल की संगठित खेती और मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके।

  कमाण्ड क्षेत्र में हार्टिकल्चर विभाग से बाड़ी योजना अंतर्गत अभिसरण होकर बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हार्टिकल्चर विभाग से इस बिन्दु पर समन्वय की अपेक्षा रहेगी।

सौर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति

धामनसरा-मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना जिला-राजनांदगांव : सौर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति संयत्र

6.10 नदियों का संरक्षण एवं संवर्धन

विश्व में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहे विपरीत प्रभाव के दृष्टिगत नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शासन प्रयासरत है। प्रदेश की 05 प्रमुख नदियों शिवनाथ, हसदेव, महानदी, केलो तथा खारून में कुछ प्रदूषित हिस्सो की पहचान की गयी है जिसके लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर वन, उद्योग तथा नगरीय निकाय विभागों से समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिलासपुर जिले में पचरीघाट बैराज परियोजना एवं शिवघाट बैराज परियोजना का कार्य क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

श्री अन्बलगन पी., सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा अरपा नदी पर निर्माणाधीन पचरीघाट बैराज का निरीक्षण

6.11 भूमिगत पाईप लाईन द्वारा सिंचाई

प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन एवं एनीकट हैं। वर्तमान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। वर्ष 2013 से लागू नये भू–अर्जन अधिनियम में मुआवजा दर में वृद्धि के कारण नहर निर्माण की लागत अधिक आ रही है। इसके दृष्टिगत भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से सिंचाई किये जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना से बहुत कम भू–अर्जन की आवश्यकता होगी एवं योजना की लागत में कमी के साथ रखरखाव एवं मरम्मत की लागत में भी कमी आयेगी। इस विषय पर अरपा भैंसाझार परियोजना का अध्ययन किया गया, जिसमें भू–अर्जन सहित नहर निर्माण की लागत पाईप लाईन की लागत से अधिक आई है।

सल्का व्यपवर्तन योजनांतर्गत भूमिगत पाईप लाईन

मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा लोवर मनियारी डायवर्सन तखतपुर का निरीक्षण दिनांक 29.12.2022

6.12 इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण

बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इन्द्रावती नदी के संरक्षण के लिए इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 27.08.2021 को शासन द्वारा किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों को शासन द्वारा नामांकित किया गया है। इसके सदस्य सह सचिव प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में सात जिले यथा दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव जिलों के 28 विकासखण्ड शामिल है। यह प्राधिकरण निम्न उद्देश्यों के लिए काम करेगा :–

1. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास का उपाय करना, जिससे इन्द्रावती नदी में बारह माह पानी रहें, इसमें नरवा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु उपाय करना।
2. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित समस्त सिंचाई परियोजनाओं का पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु संधारण के उपाय सुझाना।
3. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन समस्त योजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण करने के उपाय करना।
4. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का मास्टर प्लान को द्रुत गति से लागू करने हेतु उपाय करना।
5. इन्द्रावती नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए आवश्यक उपाय करना।
6. इन्द्रावती नदी एवं इसकी सहायक नदियों एवं नालों का उपचार करना तथा उनके किनारे सघन वृक्षारोपण करने हेतु उपाय करना।

इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.01.2023

6.13 अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली अरपा नदी के संरक्षण के लिए अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन शासन द्वारा किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों को शासन द्वारा नामांकित किया गया है। इसके सदस्य सह सचिव प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर एवं कोरबा जिले में अरपा नदी के किनारे स्थित क्षेत्र एवं नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम आते हैं। यह प्राधिकरण निम्न उद्देश्यों के लिए काम करेगा :–

1. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास का उपाय करना, जिससे अरपा नदी में बारह माह पानी रहें, इसमें नरवा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु उपाय करना।
2. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित समस्त सिंचाई परियोजनाओं का पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु संधारण के उपाय सुझाना।
3. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन समस्त योजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण करने के उपाय करना।
4. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का मास्टर प्लान द्रुत गति से लागू करने हेतु उपाय करना।
5. अरपा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए आवश्यक उपाय करना।
6. अरपा नदी एवं इसकी सहायक नदियों एवं नालों का उपचार करना तथा उनके किनारे सघन वृक्षारोपण करने हेतु उपाय करना।

अरपा नदी पर निर्माणाधीन बैराज

6.14 छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC) -

राज्य में सिंचाई साधनों के विकास को शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके लिए तेजी से विकास हेतु मिशन मोड में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC) के संचालक मण्डल का पुनर्गठन किया गया है तथा इसका प्रशासकीय नियंत्रण जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री जल संसाधन श्री रविन्द्र चौबे जी हैं तथा सदस्य माननीय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, माननीय मंत्री वन विभाग, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं वित्त, वन, कृषि, ऊर्जा, राजस्व तथा जल संसाधन विभाग के भारसाधक सचिव हैं तथा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग कार्पोरेशन के सदस्य सचिव हैं।

छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC) के गठन का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन की सभी आवश्यकताओ को पूर्ण कर उसे मूर्त रूप देना, राज्यहित के सभी पहलुओं का संरक्षण करना, राज्य में सिंचाई का तेजी से विकास हेतु मिशन मोड में कार्य करना आदि है। वर्तमान में अहिरन–गाजरीनाला (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) जल संवर्धन योजना, छपराटोला फीडर जलाशय योजना एवं रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना का सम्पादन CIDC के माध्यम से कराया जाना है। ये योजनाएँ वर्तमान में सर्वेक्षण के स्तर पर हैं।

कोसारटेडा जलाशय, जिला - बस्तर

6.15 पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शासन में आदर्श बदलाव और समावेशी अवसंरचना का सृजन-

भारत सरकार द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अवसंरचना के समग्र विकास के लिए देश में 100 लाख करोड़ रूपये के राष्ट्रीय मास्टर प्लान **'पीएम गति–शक्ति'** प्रारंभ किया गया है।

गति–शक्ति सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर, परियोजनाओं को अधिक गति और शक्ति देने का अभियान है। इस तरह, विभिन्न मंत्रालयो और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को एकसमान दृष्टि से डिजाइन और क्रियान्वित किया जाएगा।

गति–शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक केंद्रीकृत पोर्टल में भू–मानचित्रण और रीयल–टाइम डेटा का उपयोग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से बहु–क्षेत्रीय और बहु–क्षेत्रीय पहुंच वाली जिन प्रमुख परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है, उनके बारे में विभाग और राज्य, जानकारी हासिल कर सकें।

इसके तहत, जल संसाधन विभाग की समस्त निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित (वर्ष 2050 तक), वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं की संक्षिप्त जानकारी कमांड एरिया मैप सहित GIS लेयर में प्रमाणीकृत एवं सत्यापित कर एक mechanism बनाकर केंद्रीकृत पोर्टल में upload किया जाना है।

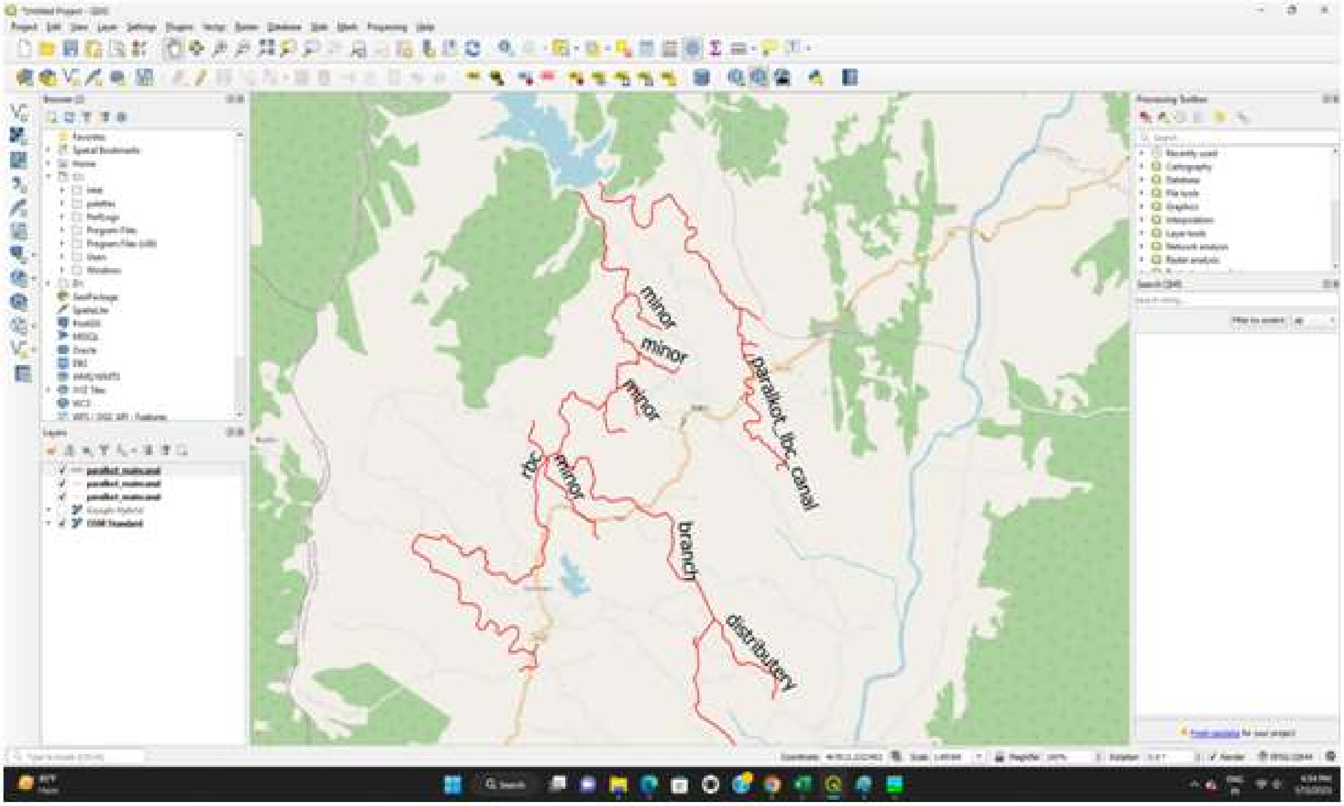

प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत GIS में परालकोट कमांड क्षेत्र का डिजीटलीकरण कार्य

भाग - 7

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)

राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान हैं। जल के बिना कृषि विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी कृषक संगठनों के माध्यम से संभव है।

सैंच्य क्षेत्र के कृषकों की जागरूकता हेतु कार्यशाला

इसी उद्‌देश्य से सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 के तहत 9 फरवरी 2007 में चुनाव करा कर 1324 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया था। इन संथाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा राजस्व वसूली आदि वित्तीय अधिकार देकर इन संथाओं को स्वावलंबी बनाया गया। जल उपभोक्ता संथाओं को तकनीकी परामर्श जल संसाधन विभाग द्वारा दिया जाता रहा है। वर्तमान में जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है तथा उनमें संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रभावशील है। नवीन जल उपभोक्ता संथाओं के परिसीमन एवं चुनाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भाग - 8

पारदर्शी निविदा आमंत्रण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली

8.1 निविदा आमंत्रण की पद्धति :-

विभाग में पारदर्शिता एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हेतु निविदा आमंत्रण के लिये इलेक्ट्रानिक प्रोक्यूरमेंट पद्धति से निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है। विभाग में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिये जुलाई 2012 से आनलाईन ई–वर्क्स पर बजट आबंटन तथा चेक मुद्रण आदि कार्य प्रारंभ किये जाने से अनुबंधित कार्यों पर स्वीकृति/उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही भुगतान हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.01.2014 से एकल पंजीयन व्यवस्था पद्धति द्वारा लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाने के फलस्वरूप ठेकेदारों का पंजीयन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है एवं पंजीकृत ठेकेदारों को यूनिक आई.डी. ऑनलाईन प्रदान किया जाता है। जनवरी 2018 से विभागीय निविदाओं का संचालन प्रमुख अभियंता कार्यालय के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है।

8.2 विभाग में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) :-

8.2.1 विभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यपालिक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सम्पूर्ण Bio Data का संकलन HRM Module के अंतर्गत किया जा रहा है। इस Module का उपयोग आगामी पदक्रम सूची तैयार करने तथा स्थानांतरण हेतु किया जा सकेगा।

8.2.2 विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी त्वरित गति से प्राप्त करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिये Progress Monitoring Module (PROMON) के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। यह Module निर्माणाधीन कार्यों में आने वाली रूकावटों को केन्द्रित करने तथा आवश्यक बजट की उपलब्धि को सुनिश्चित करने एवं उन पर त्वरित निर्णय लेने में उच्चाधिकारियों के लिये सहायक है। विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019–20 से Promon Module को Deposit Work (जमा कार्यों) के लिए भी परिष्कृत कर संचालन किया जा रहा है।

8.2.3 विभाग की निर्मित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई की समीक्षा के लिये WR Module के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। यह Module निर्मित योजनाओं द्वारा उनकी क्षमता अनुसार सिंचाई न कर पाने वाली दिक्कतों को केन्द्रित करने तथा उन पर त्वरित निर्णय लेने में उच्चाधिकारियों के लिये सहायक है। विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग प्रारंभ किया जा रहा है।

8.2.4 राज्य में निर्मित जलाशयों में जल भराव के आंकड़ों की जानकारी पत्र वाहक अथवा दूरभाष के माध्यम से उच्च कार्यालयों में प्रेषित की जाती रही है। इस कार्य को संपादित किये जाने में अत्याधिक समय लगता है। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से

प्रदेश के जलाशयों में जल भराव की जानकारी तत्काल प्राप्त करने हेतु Real Time Application Software **"नीरनिधी"** तैयार कर जून 2016 से वृहद एवं मध्यम जलाशयों के जल भराव की जानकारी निरंतर संकलित की जा रही है। यह Software डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा एन्ड्रायड मोबाईल पर संचालित किया जा रहा है।

8.2.5 विभाग में विगत 7 वर्षों से एकीकृत PQ Certificate ऑनलाईन के माध्यम से सफलतापूर्वक बनाया जा रहा है। यह Certificate ठेकेदारों को उनके द्वारा पूर्व में निविदा अर्हता में लगने वाले समस्त दस्तावेज यथा IT Return, किए गए कार्यों के भौतिक सर्टिफिकेट इत्यादि के स्थान पर एक Certificate Upload करने की सुविधा देता है।

8.3 गुणवत्ता प्रबंधन :-

विभाग के सभी कार्य सार्वजनिक धन के उपयोग पर आधारित हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संसाधनों का अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जावे। इस दृष्टि से विभाग द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्यो में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये निर्माण तकनीक तथा गुणवत्ता प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाती है एवं देश में अन्यत्र आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि निर्माण कार्यो की देख रेख एवं संचालन में गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके। विभागीय निर्माण कार्यो की निविदाओं में निर्माण उपरांत 05 वर्षों के लिये रख–रखाव का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार के लिये अनिवार्य शर्त रखी गयी है। इससे निर्माण कार्यो में गुणवत्ता मानको के पालन के प्रति सजगता एवं जिम्मेदारी की भावना का सृजन हुआ है। ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण निर्माण करके सार्वजनिक धन के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग को न केवल सुनिश्चित करते हैं बल्कि एक लम्बी अवधि तक उनका रख रखाव भी करते हैं, जिसका सीधा लाभ जन सामान्य को प्राप्त होता है।

8.4 जल आबंटन प्रक्रिया/प्रणाली को ऑनलाईन किया जाना:-

Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) भारत शासन द्वारा Ease of doing Business 2017, हेतु कार्यवाही योग्य बिन्दुओं में से जल संसाधन विभाग से संबंधित जल आबंटन प्रक्रिया/प्रणाली को ऑनलाईन करते हुए दिनांक 04.12.2020 को अपरान्ह से सर्वर पर LIVE कर दिया गया है, जिसका URL www.cgwrd.in है। उक्त URL के Water Allotment खण्ड पर Live किये गये software को access किया जा सकता है। प्राप्त दिशा–निर्देश एवं अन्य functionalities को समाहित करते हुए संशोधित software को भी दिनांक 17.12.2020 को विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस आनलाइन प्रणाली को उद्योगों के साथ–साथ, पेयजल हेतु एवं भू–जल उपयोग आदि समस्त प्रकार के जल आबंटन हेतु जल उपयोगकर्ता की सुविधा की दृष्टि से Live किया गया है। इस तरह राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों/पेयजल हेतु नगरीय निकायों को विभाग द्वारा त्वरित एवं Contactless जल आबंटन की सुविधा प्रदाय की जा रही है, जो औद्योगिक विकास के साथ–साथ राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी।

8.5 ई-वर्क्स एवं ई-कोष का एकीकरण

छत्तीसगढ़ शासन ने ''छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही कार्यक्रम'' (CGPFMAP)एक विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम के अंतर्गत ई—वर्क्स एवं ई—कोष के एकीकरण करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य एक नजर में विभिन्न विभागों को प्रदान किए गए बजट उपयोग में पारदर्शिता, सुचारू प्रबंधन और उचित निगरानी लाना है। पहले पूरी प्रक्रिया या तो मैन्युअल रूप से या विभागवार संचालित की जाती थी, लेकिन ई—वर्क्स और ई—कोष के एकीकरण के बाद बजट प्रबंधन और इसके उचित एवं समय पर उपयोग की समस्या हल हो गई है।

शासन अब यह भी निगरानी रख सकती है कि विभाग को दी गई धनराशि का समय पर उपयोग हुआ या नहीं और यदि इसे अप्रयुक्त रखा गया है, तो शासन जल्द ही बजट के पुनर्विनियोजन का निर्णय ले सकती है और आवश्यकतानुसार इसे अन्य विभाग में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार, इस एकीकरण प्रणाली ने शासकीय भुगतान प्रक्रिया में बजट के कुशल प्रबंधन एवं उपयोग को भी सुनिश्चित किया है।

जल संसाधन विभाग ने निर्धारित समय के भीतर इस एकीकरण और कार्यप्रणाली में बदलाव को सुनिश्चित करके सरकार के इस उद्देश्य को पूरा किया है, इसके लिए ई—वर्क्स सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया था और इसे दिसंबर 2021 से पायलट आधार पर और उसके बाद अप्रैल 2022 से संपूर्ण विभाग में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

सुखरीकला एनीकट, जिला बेमेतरा को क्षेत्रवासियों को समर्पित करते माननीय मंत्री जी

8.6 e-works और e-procurement का एकीकरण

छत्तीसगढ़ शासन ने "छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाब देही कार्यक्रम" (CGPFMAP) जो एक विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत e-works एवं e-procurement के एकीकरण करने का निर्णय लिया गया। जिसका उद्देश्य एक नजर में विभिन्न विभागों की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता, उचित निगरानी एवं सुचारू प्रबंधन लाना है।

इस एकीकरण के फलस्वरूप e-procurement में निविदा पूर्व चाही गई जानकारी अनुसार संभाग स्तर से कार्य के work code के साथ, प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं दिनांक की प्रवृष्टि विभागीय प्रोमोन मॉड्यूल में ऑनलाईन अपलोड करने की कार्यवाही संपादित की जा रही है, जिसके तहत् e-procurement के माध्यम से उन्ही कार्यों को निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, जो विभागीय बजट में शामिल है एवं जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल में भी आवश्यक संशोधन समय–सीमा में चिप्स से सामन्जस्य स्थापित कर, संपादित कर लिया गया है।

1. निविदा के ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु संभाग स्तर द्वारा प्रस्तुत work code एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी सही है या नहीं यह e-procurement system द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
2. एकीकरण के परिणामस्वरूप e-procurement पर निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय वेबसाईट में e-procurement पर न्यूनतम निविदाकार का विवरण एवं कार्य संबंधित अन्य विवरण मैनुअली दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
3. चिप्स और विभाग के बीच उचित डेटा साझाकरण के कारण सुगम work flow condition विकसित हो चुकी है, जिसका भविष्य में ऑनलाईन सिस्टम एवं फायनेंसियल सिस्टम को अधिक पारदर्शिता विकसित करने में प्रयोग किया जा सकेगा।
4. एकीकरण के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में तेजी के साथ–साथ प्रावधानित बजट का समुचित एवं समय पर उपयोग तथा कार्य प्रवाह में पारदर्शिता देखी गई।

भाग - 9

जल संसाधन विकास नीति-2022

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका हेतु निर्भर है। राज्य के जल की मांग–पूर्ति वर्षा पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नये राज्य के गठन के उपरांत बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जीवनशैली में परिवर्तन के कारण जल की मांग कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है।

वर्तमान में प्रचलित अधिनियम निम्नानुसार है :–

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931

छत्तीसगढ़ सिंचाई नियम, 1974

उपरोक्त अधिनियम पुराने एवं अनुपयोगी हो चुके है। इनके प्रावधानों को संशोधित कर आज की आवश्यकता के अनुसार संवैधानिक रूप से **छत्तीसगढ़ जल संसाधन विकास नीति–2022 (Chhattisgarh Water Resources Development Policy-2022)** दिनांक 24.05.2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसके निम्न उद्देश्य हैं :–

1. जल संसाधनों का विकास सुनियोजित प्रकार से करना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो, जल स्रोतों और जल निकास मार्गों का अतिक्रमण एवं अन्य उपयोगों में नहीं होने देना और जहां भी ऐसा हुआ है, इसे व्यवहार्य सीमा तक पुनःस्थापित एवं उचित अनुरक्षण किया जाना।
2. सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा वृष्टि क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास हेतु तकनीकी दृष्टि से साध्य हर संभव प्रयास करना एवं सूखे से निपटने के लिए विभिन्न कृषि कार्यनीतियों को विकसित करना।
3. पेयजल एवं कृषि हेतु आवश्यक जल ऐसी व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराना, जिससे कम से कम संधारण व्यय की पूर्ति हो सके।
4. जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जल उपभोक्ता संथाओं को जल शुल्क एकत्रित करने एवं एक निर्धारित हिस्सा रखने, उन्हें आवंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए वैधानिक शक्तियां दिया जाना।
5. संपूर्ण जनसंख्या में जल के विभिन्न उपयोग/उपभोक्ताओं हेतु समुचित संस्थागत एवं कानूनी ढांचे के तहत जल प्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित् करना।
6. जल प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न उपाय करना।
7. सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न उपाय करना।
8. पर्यावरण संतुलन एवं इसे बनाये रखने के विभिन्न उपाय करना।

भाग - 10

जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन

- माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन घोषणा पत्र में की गयी घोषणा के प्रतिपालन में 03.07.2019 को कृषि प्रयोजन अंतर्गत जलकर के रूप में कृषकों की वसूली योग्य बकाया राशि रू. 244.18 करोड़ को माफ करने की अधिसूचना जारी की गयी है। जिससे 17,05,450 कृषकों को लाभ पहुंचा है।

छत्तीसगढ़ में पेयजल एवं सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए जल के समुचित उपयोग एवं जल संरचनाओं के हो रहे प्रदूषण को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ **जल संसाधन विकास नीति–2022** तैयार कर दिनांक 24.05.2022 को अधिसूचित किया गया है।

- विभाग द्वारा लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देकर आगामी 05 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र दोगुना करने हेतु कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 2.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचित रकबे में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु माननीय मंत्रीजी ग्रामीणों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए

भाग - 11

भविष्य की योजनाएं (Future Vision)

भविष्य की आवश्यकताओं के लिए नई परियोजनाओं का निर्माण (Future Vision) :-

जल संसाधन विभाग आने वाले समय में राज्य की बढ़ती हुई पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से महानदी जल विवाद के परिपेक्ष्य में भी राज्य के हिस्से के पानी के समुचित उपयोग के लिये भी भविष्य की योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत नयी परियोजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन तथा क्रियान्वयन के लिये प्रयास जारी हैं। जिससे अब तक व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग कर राज्य की बेहतरी एवं समृद्धि के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वर्तमान में अब तक निम्न योजनाओं पर कार्य एवं मंथन विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है :–

- इन्द्रावती नदी पर बोधघाट वृहद परियोजना
- अहिरन–गाजरीनाला (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) जल संवर्धन योजना।
- छपराटोला फीडर जलाशय योजना।
- कुम्हारी जल आवर्धन योजना।
- पैरी–महानदी इंटरलिंकिंग योजना।
- शेखरपुर जलाशय परियोजना
- डांडपानी जलाशय परियोजना
- रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना
- मोंगरा–खरखरा जल संवर्धन (लिंक) योजना।
- आमामुड़ा जल आवर्धन योजना।

बोधघाट बहुउद्देश्यीय वृहद परियोजना :-

गोदावरी कछार के अंतर्गत गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी इन्द्रावती पर प्रस्तावित बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक महत्वकांक्षी योजना है। इन्द्रावती नदी राज्य में कुल 264 कि.मी. में प्रवाहित होती है। बोधघाट परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित जल उपयोग की मात्रा 155.911 टी.एम.सी. है। परियोजना की संभावित लागत रू. 22653 करोड़ है। योजना के निर्माण से दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लगभग 359 ग्रामो की 171075 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई प्रस्तावित है, परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 366580 हेक्टेयर अनुमानित है, साथ ही लगभग 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी प्रस्तावित है। योजना के प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन (Pre Feasibility Report) पर केन्द्रीय जल आयोग की सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। योजना के निर्माण से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य अंचल के जनजीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आएगा और ग्रामीण आबादी की कृषि एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परियोजना का डी.पी.आर. एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में हाईड्रोलॉजी प्रतिवेदन, जलीय आवश्यकता एवं सिंचाई योजना पर प्रतिवेदन, मुख्य बांध एवं एक्सिस शीट का डी.जी.पी. एस. सर्वेक्षण तथा कमाण्ड क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य (कुल कमाण्ड क्षेत्र का 10 प्रतिशत), मुख्य नहर 387 कि0मी0 एवं शाखा नहर 451 कि0मी0 कुल 838 कि0मी0 तथा स्ट्रक्चर का सर्वेक्षण एवं नहर का भू–गर्भीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। परियोजना का डी.पी.आर. एवं समस्त निदेशालयों से आवश्यक अनुमतियां दिनांक 31.08.2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है।

बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना की संभावित साईट, स्त्रोत - GIS

अन्य योजनाएं

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (राशि रू. करोड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5
1	खारंग अहिरन लिंक परियोजना	बिलासपुर	720.52	परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी.एफ.आई. सी.) से स्वीकृत/ बिलासपुर नगर के पेयजल हेतु प्रस्तावित।
2	छपराटोला फीडर जलाशय	बिलासपुर	968.56	परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी.एफ.आई. सी.) से स्वीकृत/ अरपा नदी के पुनर्जीवन एवं कोटा, बिलासपुर की जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	कुम्हारी जलाशय जल आवर्धन योजना	रायपुर	12.00	सिमगा क्षेत्र के 42 ग्रामों के सिंचाई हेतु। शासन द्वारा योजना की पुनः प्रशासकीय स्वीकृति रु. 11.62 करोड़ प्रदाय की जा चुकी है।
4	पैरी–महानदी इंटरलिंकिग परियोजना	गरियाबंद	7479.08	औद्योगिक, जल एवं 09 नगरों के पेयजल आपूर्ति हेतु।
5	शेखरपुर बांध परियोजना	जशपुर	1080.05	योजना से 22500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, निस्तारी तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तावित है।
6	डांडपानी बांध परियोजना	जशपुर	1235.21	वृहद परियोजना से 38000 हेक्टेयर सिंचाई, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होगी। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रु. 1235.21 करोड़ का प्रस्ताव दिनांक 13.10.2021 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।
7	रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना	सरगुजा	395.00	रेहर नदी से 100 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल का अंतरण किये जाने हेतु। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
8	मोंगरा–खरखरा जल संवर्धन (लिंक) योजना	राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद	72.00	क्षेत्रों में व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जावेगा।
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू–जल घटक (PMKSY/HKKP)	बस्तर अंचल के सात आकांक्षी जिला	256.00	राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल के सात आकांक्षी जिलो में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू–जल घटक अन्तर्गत 6868 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है, जिसमें नई दिशा–निर्देश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

भाग - 12

अन्तर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Disputes)

❖ छत्तीसगढ़ एवं ओड़िसा राज्य के मध्य **महानदी जल विवाद** के तहत् मुख्य रूप से ओड़िसा द्वारा ग्रीष्मकाल में हीराकुण्ड बांध में जल की कमी का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ से अधिक जल की मांग की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ का कहना है, कि हीराकुण्ड परियोजना की मूल आवधारणा एवं निर्धारित उपयोग का अतिक्रमण कर ओड़िसा द्वारा औद्योगिक प्रयोजन एवं सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ उत्तरदायी नहीं है। इस विवाद के निराकरण हेतु दोनों राज्यों के बीच उच्चस्तरीय विभिन्न बैठक आयोजित कर समाधान करने की कोशिश की गई है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महानदी जल विवाद प्राधिकरण (MWDT) का गठन तकनीकी कारणों से किया गया है तथा प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में MWDT द्वारा अब तक कुल 34 बैठकें/सुनवाई की जा चुकी है। वर्तमान में MWDT के निर्देशानुसार ओड़िसा एवं छत्तीसगढ़ के संयुक्त दल द्वारा दोनों राज्यों की मुख्य जल संग्रहण परियोजनाओं के स्थल निरीक्षण किये गये हैं। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के 46 मुद्दों (Issues) का निर्धारण किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन हेतु सभी संबंधित विभागों के समन्वय से आँकड़ों का एकत्रीकरण 68 CFI प्रपत्रों के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि राज्य हितों का संरक्षण प्रभावी तरीके से किया जा सके।

❖ केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशानुसार **इन्द्रावती नदी** की सहायक नदी **जोरानाला** पर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाकर Lean Season में दोनों राज्यों को बराबर मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, परन्तु वर्तमान में राज्य को बराबर मात्रा में जल प्राप्त न होने के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भाग - 13
विगत् चार वर्षो की उपलब्धियाँ

पेयजल एवं निस्तारी

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल एवं निस्तारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य स्थापना से अब तक प्रदेश में कुल 63 नगरीय निकायों को 256.51 मि.घ.मी. वार्षिक, मिशन अमृत अंतर्गत कुल 6 शहरों को 119.02 मि.घ.मी. वार्षिक एवं जल जीवन मिशन अमृत अंतर्गत कुल 11 ग्रामीण समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु 26.23 मि.घ.मी. वार्षिक, इस प्रकार कुल 80 पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु 401.76 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों के 4880 निस्तारी तालाबों को जल प्रदाय किया गया है।

सिंचाई जलकर माफी

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 जनवरी 2019 को की गई घोषणा के परिपालन में कृषि प्रयोजन अंतर्गत जलकर के रूप में कृषकों की दिनाँक 31.10.2018 की स्थिति में वसूली योग्य बकाया राशि रू. 244.18 करोड़ को माफ किया गया है, जिससे राज्य के 17,05,450 कृषकों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार 3 मई 2021 को शासन द्वारा जारी अधिसूचनानुसार वर्ष 2018–19 की शेष जलकर राशि रु. 33.60 करोड़, वर्ष 2019–20 की जलकर राशि रू. 33.18 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 की जलकर राशि रू. 31.48 करोड़, इस प्रकार कुल 98.26 करोड़ रुपये का जलकर माफ किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 17.07 लाख छोटे–बड़े कृषकों को लाभ हुआ है। इस प्रकार विगत 3 वर्षों (वर्ष 2018–19 से 2020–21) में 342.44 करोड़ रुपये का जलकर माफ किया गया है।

राजस्व वसूली

वर्ष 2018–19 में कुल राजस्व प्राप्तियां रू. 667.69 करोड़ थी। वर्ष 2019–20 में कुल राजस्व प्राप्तियां रू. 611.02 करोड़, वर्ष 2020–21 में कुल राजस्व प्राप्तियां रू. 711.43 करोड़, वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 647.06 करोड़ रूपये थी। वर्तमान में वर्ष 2022–23 में जनवरी 2023 तक 521.91 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली की गई है।

सिंचाई सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य शासन किसानो के हितो को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसी कड़ी में प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले पाँच वर्षो मे दुगुना करने की कार्य योजना बनायी गयी है। वर्ष 2017 में 9.68 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की गई थी, जिसे वर्ष 2018 में जहाँ औसत सिंचाई 11.16 लाख हेक्टेयर एवं वर्ष 2022 में जल संसाधनो के बेहतर व्यवस्थापन द्वारा लगभग 13.05 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है। रबी सिंचाई के रकबे को भी वर्ष 2017–18 के 16000 हेक्टेयर से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 में 34854 हेक्टेयर, वर्ष 2019–20 में 78878 हेक्टेयर एवं वर्ष 2020–21 में 91995 हेक्टेयर किया गया है। यह आकड़े छत्तीसगढ़ निर्माण के उपरांत पिछले 22 वर्षों में सर्वाधिक है। इस वर्ष 2022–23 में 13.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की गयी है

एवं 1.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित कर जल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार विभाग द्वारा सिंचाई संसाधनों के बेहतर जल प्रबंधन द्वारा सिंचाई सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।

जल नीति

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जल संसाधनों के दक्ष दोहन हेतु एक प्रभावी एवं व्यवहारिक **''जल संसाधन विकास नीति–2022''** तैयार कर दिनांक 24.05.2022 को अधिसूचित किया गया है।

नदियों का संरक्षण एवं संवर्धन

विश्व में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहे विपरीत प्रभाव के दृष्टिगत प्रदेश में नदियों के किनारे वृक्षारोपण सहित जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही एवं कोरबा जिले के लिए अरपा नदी के संरक्षण हेतु **अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण** तथा जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव के लिए इन्द्रावती नदी के संरक्षण हेतु **इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण** का गठन किया गया है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना (DRIP-II)

प्रदेश में निर्मित वृहद मध्यम योजनाएं सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिसम्पत्तिया हैं, जिनका समय–समय पर सुधार एवं पुर्नवास आवश्यक है। राज्य में निर्मित वृहद्, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित योजना **DRIP (Dam Rehabilitation & Improvement Project)** के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख बांध सुरक्षा एवं बांधों के सुधार हेतु रू. 631.69 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिसमें से **DRIP-II** योजना अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से बांध सुरक्षा/पुर्नवास हेतु मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) को वृहद परियोजना हेतु रू. 81.12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति एवं मध्यम परियोजना पेण्ड्रावन जलाशय हेतु 32.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 3 कार्य प्रगतिरत है तथा 3 कार्यों की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

DRIP-II कांफ्रेंस मदुरई, तमिलनाडु

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के परिप्रेक्ष्य में राज्य की गतिविधियां

1. **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति -** यह अधिनियम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी। समिति के कार्यों में बांध सुरक्षा मानदण्डों से संबंधित नीतियां एवं विनियम बनाना तथा बांधों को क्षतिग्रस्त होने से रोकना एवं बड़े बांधों के टूटने के कारणों का विश्लेशण करना एवं बांध सुरक्षा प्रणालियों में बदलाव का सुझााव देना शामिल होंगे।

2. **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण -** यह अधिनियम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, इस प्राधिकरण का प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे स्तर का अधिकारी नहीं होगा एवं इसे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना शामिल है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बांधों के निर्माण, डिजाईन तथा उसमें परिवर्तन पर काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता देगी तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और उस राज्य के किसी बांध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना, बांधों के निरीक्षण और जांच के लिए विनियम को निर्दिष्ट करना।

3. **राज्य बांध सुरक्षा समिति -** शासन द्वारा दिनांक 07.07.2022 को राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग हैं तथा जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभाग/मंडल/संस्था के 5 मुख्य अभियंता, राज्य के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित राज्यों यथा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना के 5 प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नामांकित केन्द्रीय जल आयोग का 1 प्रतिनिधि तथा एन. आई. टी. रायपुर या आई. आई. टी. भिलाई से हाइड्रोलॉजी या बांध रुपांकन से संबंधित 2 सदस्य तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामांकित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का 1 प्रतिनिधि के साथ राज्य के बांधों के dam failure related disaster को रोकने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक वर्ष में 2 बार होगी तथा 1 बैठक मानसून पूर्व आयोजित की जाएगी।

4. **राज्य बांध सुरक्षा संगठन -** शासन द्वारा दिनांक 14.11.2022 को राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है, जिसके कार्य करने के लिए 1 मुख्य अभियंता, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, 2 अधीक्षण अभियंता राज्य बांध सुरक्षा संगठन, 3 कार्यपालन अभियंता राज्य बांध सुरक्षा

परालकोट बांध, जिला कांकेर

संगठन, 3 सहायक अभियंता राज्य बांध सुरक्षा संगठन तथा 1 सहायक मानचित्रकार को राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कार्यों को संपादित करने के लिए आदेशित किया गया है।

अधिनियम अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य के अंतर्गत निर्मित समस्त बड़े बांधों, जिनकी संभावित संख्या 258 है, का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारुप में निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर जानकारी का संकलन करते हुए राज्य बांध सुरक्षा समिति को तय समय– सीमा में प्रस्तुत किया जाना है। इसके अतिरिक्त उक्त बांधों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु निगरानी तथा बांधों के क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आवश्यक उपचार बाबत् प्रस्ताव भी राज्य बांध सुरक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए आवश्यक सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डेम सेफ्टी पैनल का बांगो डैम निरीक्षण दिनांक 22.03.2022 से 24.03.2022

छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2022

राज्य में विशेष रुप से संकटग्रस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से भू–जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भू–गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2022 अधिसूचित किया गया है।

इस अधिनियम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य भू–जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, इस प्राधिकरण में 16 सदस्य होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में भू–जल प्रबंधन का दीर्घकालीन कार्य करने का अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/अशासकीय संगठन/सामाजिक क्षेत्र से 3 विषय विशेषज्ञ एवं 1 भू–जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सार्वजनिक संगठन/सामाजिक क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति को नामित करने का प्रावधान किया गया है,

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग इसके सदस्य सचिव एवं नोडल कार्यपालिक अधिकारी हैं। यह प्राधिकरण अधिसूचित/गैर अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक/वाणिज्यिक/खनन के लिए भू–जल निकासी की अनुमति देगा।

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला भू–जल प्रबंधन परिषद गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर, जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रुप में भी कार्य करेंगे।

विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय भू–गर्भ जल उपयोक्ता पंजीकरण समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

उपयुक्त निकाय में पंजीकरण न कराने पर या नियमों के उल्लंघन किये जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन एवं विनियमन) नियम 2023 लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

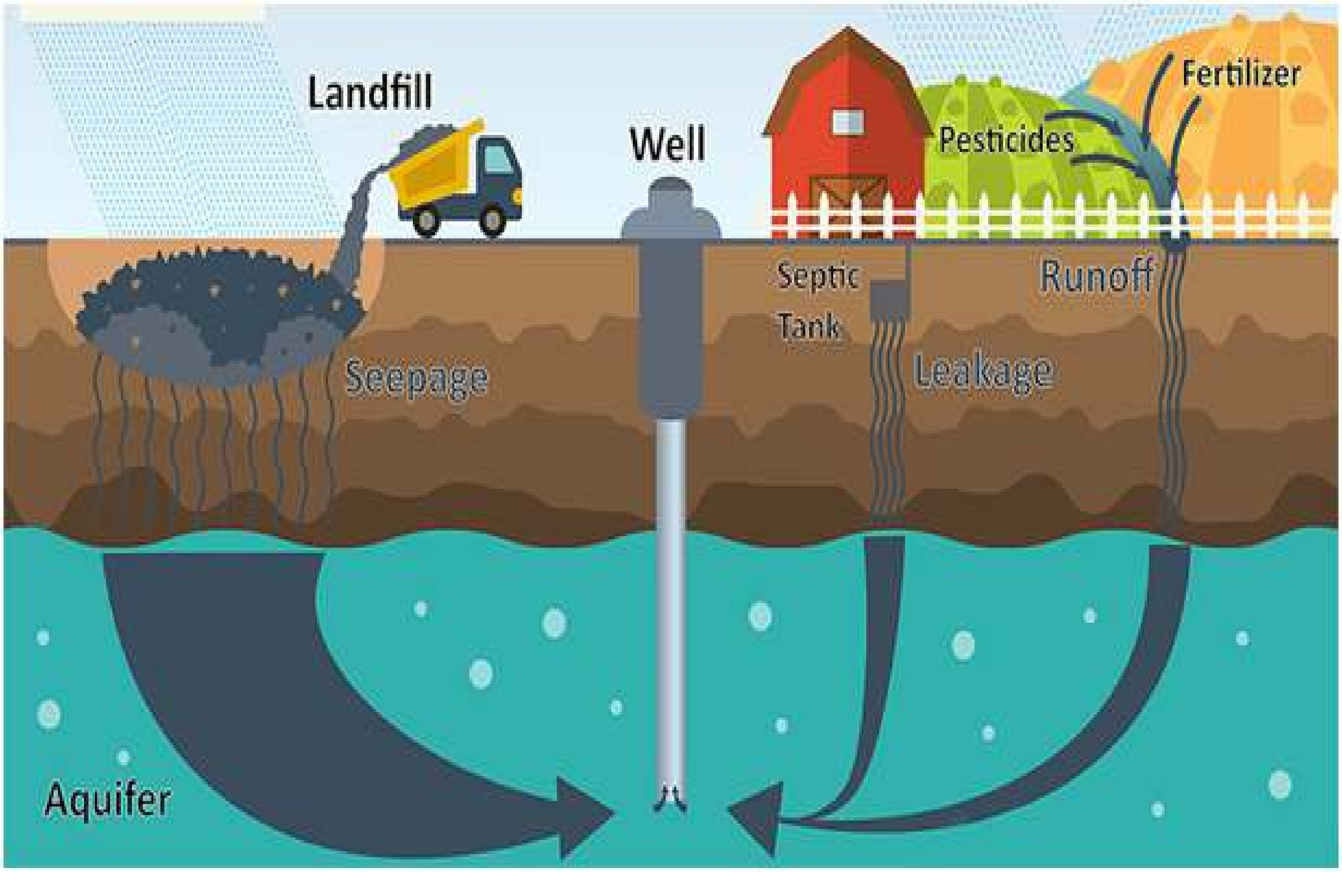

भाग - 14
विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्ष 2022-23

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में वर्ष 2022–23 में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं (सिविल) को तकनीकी विषयों से संबंधित रिफ्रेशर कोर्स कराया गया।

संपादित 4 प्रशिक्षण सत्रों में सभी 44 नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का प्रत्येक विषय के लिए 2 बैच बनाकर विभाग एवं बाहर से अनुभवी प्रशिक्षकों को आमंत्रित कर आवासीय प्रशिक्षण संपन्न कराया गया।

संपादित प्रशिक्षणों का विवरण

स.क्र.	दिनांक	अवधि	विषय	प्रतिभागी संख्या
1.	07.05.2022	01 दिन	निविदा दस्तावेज पर कार्यशाला	17 (S.E., E.E. & A.E.)
2.	20.06.2022 से 24.06.2022	05 दिन	आधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली से संबंधित उपकरणों का उपयोग	23 (A.E.बैच -1)
3.	11.07.2022 से 15.07.2022	05 दिन	आधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली से संबंधित उपकरणों का उपयोग	21 (A.E.बैच -2)
4.	03.08.2022 से 06.08.2022	04 दिन	मिक्स डिजाइन, गुण नियंत्रण एवं मटेरियल्स टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला कार्य	26 (A.E. & S/Eबैच -1)
5.	20.09.2022 से 23.09.2022	04 दिन	मिक्स डिजाइन, गुण नियंत्रण एवं मटेरियल्स टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला कार्य	20 (A.E. बैच-2)

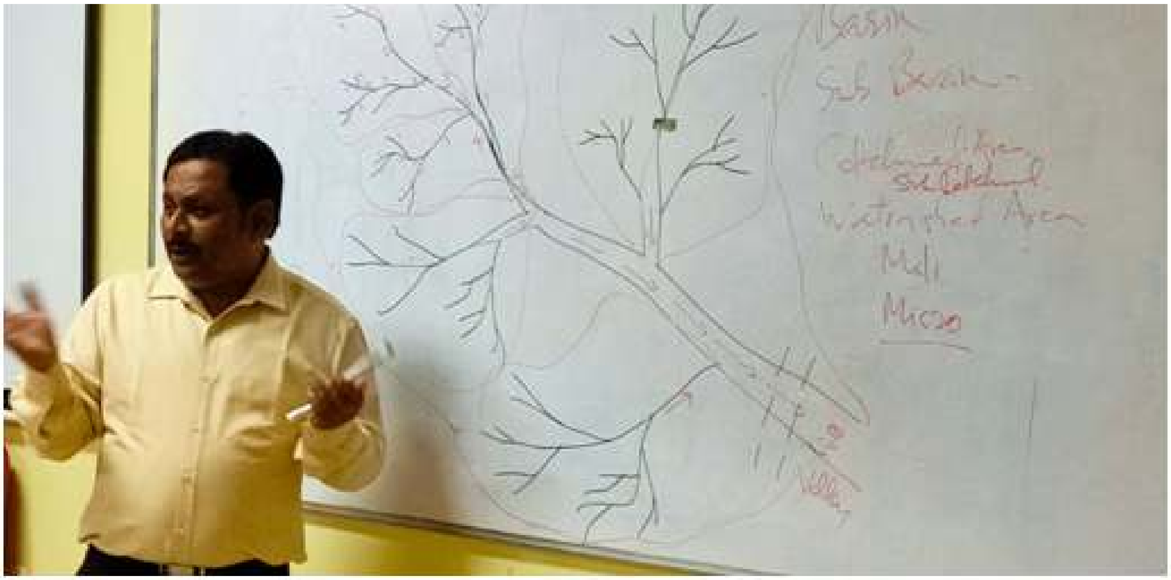

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित सहायक अभियंताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित सहायक अभियंताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम में
श्री अन्बलगन पी., सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा संबोधन

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित सहायक अभियंताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक सर्वे तकनीक का प्रशिक्षण

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा/डिग्रीधारी (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिकी) विभाग में कार्यरत अमीन, अनुरेखक एवं सहायक मानचित्रकारों के उप–अभियंता (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिकी) के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान करने हेतु केवल एक बार के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 24 दिसंबर 2022 को रायपुर ट्रेनिंग सेंटर, रायपुर में आयोजित की गई।

इस प्रतियोगी परीक्षा में कुल 63 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें 23 सिविल एवं 45 विद्युत/यांत्रिकी विषय के डिप्लोमा या डिग्रीधारी परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा अवधि में जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव, श्री अनुराग पाण्डेय ने केन्द्र का निरीक्षण किया।

श्री अनुराग पाण्डेय, विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित विभागीय परीक्षा का निरीक्षण दिनांक 24.12.2022

नव नियुक्त सहायक अभियंताओं का ''परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम''
(छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में चयनित सहायक अभियंताओं (सिविल) का 'परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया गया, इस प्रशिक्षण सत्र में सहायक अभियंताओं को विभाग से संबंधित लेखा, स्थापना, भू–अर्जन एवं पुर्नवास, निविदा प्रणाली, दर अनुसूची, प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सिंचाई राजस्व, कार्य विभाग मेन्युवल, सिंचाई मेन्युवल, विधानसभा प्रश्नों की जानकारी, न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी, मुख्य तकनीकी परीक्षक के 100 बिन्दु की जानकारी आदि विषयों पर राज्य स्तर के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र के अंतर्गत सहायक अभियंताओं को अन्तर्राज्यीय परियोजना भ्रमण के तहत् ओडिशा राज्य के हीराकुंड बांध का भ्रमण भी कराया गया। यह प्रशिक्षण सत्र नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का राज्य प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण के दौरान हीराकुण्ड बांध, ओडिशा का शैक्षणिक भ्रमण

भाग - 15
सफलता की कहानियां

1.तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार कार्य

बालोद जिले में स्थित तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर जामगांव (बी) नाला क्रासिंग पर निर्मित एक्वाडक्ट का निर्माण 109 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1912 में किया गया था। एक्वाडक्ट की लम्बाई 95 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर एवं ट्रफ की ऊँचाई 3.3 मीटर है। स्टोन मेशनरी से निर्मित उक्त एक्वाडक्ट अत्यधिक पुराना हो जाने के कारण कई जगह क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हो चुका था तथा मेशनरी ज्वाइंट से रूपांकित मात्रा में नहर में छोड़े गये पानी का रिसाव होने के कारण नाले में व्यर्थ बह जाता था, जिससे आगे के ग्रामों की सिंचाई हेतु जल उपलब्धता कम हो जाती थी। तांदुला जलाशय की मुख्य नहर से लगभग 508 ग्रामों की 100980 हेक्टेयर अनुबंधित खरीफ सिंचाई की जाती है, साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र को औद्योगिक जल प्रदाय तथा ग्रीष्मकाल में लगभग 1000 निस्तारी तालाबों को जल प्रदाय किया जाता है। नहर से समय–समय पर सतत् जल प्रदाय की स्थिति को देखते हुए एक्वाडक्ट को तोड़कर नया स्ट्रक्चर निर्माण किये जाने के स्थान पर पूर्व निर्मित स्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे जल प्रदाय अवरूद्ध न हो।

110 साल पुराने पुल की 2 करोड़ से की मरम्मत, आकर्षक नजर आ रहा

बालोद @ पत्रिका . यह तस्वीर है जिले के पाकुरभाट व जामगांव के बीच तांदुला नहर में बने 110 साल पुराने अंग्रेज जमाने के खूबसूरत पुल की। कुछ वर्षों से पुल खराब होने लगा था। लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर इसकी मरम्मत की गई। अंग्रेजों के की डिजाइन के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी वर्तमान इंजीनियरों ने नहीं की है। मरम्मत के बाद पुल मजबूत एवं आकर्षक लगने लगा है। इस पुल के ऊपर से तांदुला नहर गुजरी है। नीचे से एक नाला, जो इसे एक अलग ही पहचान दिलाती है। इसकी बनावट व खूबसूरती को देखने दूरदराज से लोग आते हैं।

एक्वाडक्ट के प्रस्तावित मरम्मत कार्य में निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित करते हुये कार्यादेश दिनांक 26.10.2020 को जारी किया गया –

1. स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 2.50 मीटर गहरी कट ऑफ निर्माण।
2. पूर्व निर्मित एक्वाडक्ट ट्रफ के भीतरी ओर से 25 से.मी. मोटाई में बेड एवं साईड वाल सहित आर.सी.सी. डक्ट का निर्माण कार्य।

3. पूर्व निर्मित स्टोन मेशनरी ज्वाइंट का रैकिंग कर प्वाइंटिंग कार्य एवं पूर्व निर्मित स्टोन मेशनरी साईड वाल में आधुनिक तकनीक से केमिकल एवं सीमेंट ग्राउटिंग का कार्य।
4. एक्वाडक्ट स्थल पर नहर के दोनों पार में क्रांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य।
5. नाले के बेड में सी.सी. ब्लॉक का निर्माण कार्य।

उपरोक्त अनुबंधित निर्माण कार्य दिनांक 23.09.2021 को पूर्ण किया गया। एक्वाडक्ट का उपरोक्त मरम्मत कार्य पूर्ण होने के परिणामस्वरूप स्ट्रक्चर से रूपांकित जल प्रवाह के अनुरूप जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित हुआ, जिससे कृषकों को निर्बाध जल आपूर्ति की जा पा रही है, साथ ही पूर्व निर्मित संरचना को सुदृढ़ कर उपयोग के अनुरूप बनाया जा सका।

तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार

2. गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना :-

गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना जिला–सुकमा, विकासखण्ड– सुकमा, ग्राम पंचायत केरलापाल, ग्राम गिरदालपारा में स्थित हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसमें परम्परागत ईंधन या ऊर्जा का उपयोग किये बिना नदी सतह से पानी को उद्‌वहन कर खेतों में पहुंचाया जाता है। योजना 120 हेक्टेयर रबी एवं ग्रीष्म कालीन फसलों के लिए रुपांकित है। इस वर्ष 2022–23 में 80 एकड़ रबी की फसल ली गई है, जिसके विक्रय से 22 कृषकों को कुल लगभग 22 लाख रुपये का आर्थिक लाभ पहुँचेगा।

पूर्व की स्थिति :– कृषकों के खेतों में सिंचाई सुविधा नहीं थी, साथ ही बहुत सी जमीन मरहान (पड़त) थी। कृषक वर्षा जल के भरोसे केवल धान की ही फसल लेते थे। इसके बाद कुछ दिन महुआ, टोरा, इमली, तेन्दुपत्ता तोड़ने का काम करते थे। इस तरह लगभग 07–08 महीने उनके पास कोई काम नहीं होता था। धान व वनोपज से वे किसी तरह अपनी जीविका चला पाते थें।

बाद की स्थिति :– कृषकगण शासन प्रशासन के आभारी हैं, जिन्होनें उनकी सुधि ली और गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य उनके गांव में कराया। प्रशासन द्वारा उनके खेतों का समतलीकरण कराकर फेन्सिंग कार्य भी कराया गया हैं। फसल कैसे लेना हैं, यह भी बताया गया है, आज वे बहुत खुश हैं कि अब उनके पास बारहो महीनें कार्य उपलब्ध हैं। इस वर्ष उन्होनें मूंग, मक्का, उड़द और सब्जियों का उत्पादन किया हैं।

गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना, जिला-सुकमा

3. लीलागर सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, मल्हार वि.ख. मस्तूरी, जिला बिलासपुर

बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के नगर पंचायत मल्हार एवं जांजगीर– चांपा जिले के विकासखण्ड पामगढ़ के ग्राम मानाडेरा के बीच लीलागर नदी पर निर्मित लीलागर एनीकट में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। जिसके दांयी तट में नगर पंचायत मल्हार की 40 हेक्टेयर भूमि एवं बांयी तट में ग्राम मानाडेरा की 20 हेक्टेयर भूमि में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है।

सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना से नगर पंचायत मल्हार के 162 कृषकों द्वारा 40 हेक्टेयर एवं ग्राम मानाडेरा के 69 कृषकों द्वारा 20 हेक्टेयर में खरीफ फसल (धान) की सिंचाई पिछले दो बार किया गया एवं पिछले रबी में मल्हार के 14 कृषकों द्वारा 32.50 एकड़ में रबी (सब्जियों) की फसल ली गई तथा ग्राम मानाडेरा के 6 कृषकों द्वारा 16 एकड़ में रबी (सब्जियों) की फसल ली गयी।

मल्हार के प्रगतिशील कृषक ने मई के प्रथम सप्ताह में इस योजना से 1.25 एकड़ क्षेत्र में लौकी तथा 1.25 एकड़ क्षेत्र में डोड़का की फसल लगायी, जिसमें उनको कुल रु. 2 x 60000/– = रू. 1.20 लाख लागत आयी। फसल का उत्पादन जून द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होकर अगस्त माह तक होता रहा। कृषक द्वारा इन तीन माह में कुल रु. 2.10 लाख की लौकी तथा रू. 1.60 लाख के डोड़का का विक्रय किया गया। इस तरह कुल रू. 3.70 लाख की सब्जी विक्रय करने से किसानों को रु. 2.50 लाख का फायदा हुआ, अर्थात प्रति एकड़ रु. 1 लाख का लाभ इन ग्रामीण कृषकों को हुआ।

4. धामनसरा-मोहड एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला राजनांदगांव

राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 12 कि.मी. दूर शिवनाथ नदी के बांये तट पर धामनसरा–मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना राजनांदगांव जिले एवं विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम जंगलेसर एवं मोहड़ के समीप स्थित है। इस योजना से ग्राम जंगलेसर से 120 हे. एवं ग्राम मोहड़ से 120 हे. रकबे में खरीफ एवं रबी सिंचाई सूक्ष्म (ड्रीप) पद्धति से दोनो ग्रामों के लगभग 273 कृषक लाभान्वित होंगे। योजना से लाभान्वित दोनो ग्रामों के लिए अलग–अलग इंटेकवेल पम्प हाऊस फिल्ट्रेशन यूनिट, तकनीकी संचालन कक्ष, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया गया है। कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत कुल पाइप लाइन की लम्बाई 80244 मीटर है।

इस सूक्ष्म सिंचाई योजना में पी.वी.सी. पाइप लाइन भूमिगत होने से जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, जिससे कृषि भूमि के क्षेत्र में कमी नहीं हो रही है। कृषक अपनी पूरी भूमि पर खेती कर सकता है। ड्रीप पद्धति से सिंचाई सुविधा प्रदान करने का मुख्य उद्वेश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदाय किया जाना है। क्षेत्र के कृषक अपनी सुविधानुसार पारम्परिक फसल चक्र में परिवर्तन कर आधुनिक खेती कर केश–क्राप (नगद–फसल) ले कर लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन हेतु दो सक्रिय वाटर–यूजर ग्रुप पंजीकृत किया जा चुका है, जिससे भविष्य में योजना के रखरखाव व संचालन में सुविधा होगी। किसानों को समय–समय पर उन्नत खेती एवं फसल चक्र परिवर्तन हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

5. महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर लखौली (आरंग) रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे ब्रिज निर्माण कार्य

छ.ग. राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी पर निर्मित रविशंकर सागर परियोजना का निर्माण ब्रिटिश शासन में वर्ष 1912–1917 के मध्य 42264 हे. में खरीफ सिंचाई के लिए किया गया था। समय–समय पर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होने से परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता वर्तमान में धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार–भाटापारा, बालोद जिले के 314400 हेक्टेयर क्षेत्र में हो गयी है, जिसके लिए अधिकांश लंबाई में नहर जीर्णोद्धार, लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर्स का निर्माण नये डिजाईन के अनुसार हो गया है।

महानदी मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य हो जाने के बाद सिंचाई रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि होने के साथ–साथ पानी की बरबादी को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर रेल्वे का ब्रिटिश जमाने में निर्मित रेल्वे पुल के कारण नहर में पूर्ण क्षमता के साथ जल बहाव प्रवाहित नहीं हो पा रहा था, जिसे दूर करने के लिए शासन द्वारा ब्रिज निर्माण हेतु रू. 2633.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। रेल्वे एवं जल संसाधन विभाग के विशेष पहल से रेल्वे ब्रिज का निर्माण पूर्णता की ओर है। इस रेल्वे पुल के निर्माण हो जाने से जिला रायपुर, बलौदाबाजार–भाटापारा, बालोद के 479 ग्रामों के अंतर्गत की सिंचाई के लिए महानदी मुख्य नहर में उच्चतम जल स्तर तक पर्याप्त जल बहाव सुगमतापूर्वक प्रवाहित किया जा रहा है।

महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर लखौली (आरंग) रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे ब्रिज निर्माण कार्य

6. राज्योत्सव 2022 - झलकियां

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्योत्सव 2022 का आयोजन दिनांक 01/11/2022 से 06/11/2022 तक साइन्स कॉलेज मैदान रायपुर में संपन्न हुआ। राज्योत्सव में जल संसाधन विभाग द्वारा आकर्षक स्टॉल लगाया गया था।

श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री रविन्द्र चौबे, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा स्टाल का अवलोकन किया गया।

विभाग के स्टाल में प्रस्तावित पैरी हाई डेम एवं निर्माणाधीन सिद्धबाबा जलाशय योजना का चलित मॉडल को दर्शकों ने सराहा। स्टॉल के माध्यम से राज्य में जल संसाधन के विकास की जानकारी भी विडियो चलचित्र एवं ब्रोशर के माध्यम से दी गई।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्योत्सव 2022 के दौरान जल संसाधन विभाग के स्टाल का अवलोकन

माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग द्वारा राज्योत्सव 2022 के दौरान जल संसाधन विभाग के स्टाल का अवलोकन

सचिव, जल संसाधन विभाग एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा
राज्योत्सव 2022 के दौरान जल संसाधन विभाग के स्टाल का अवलोकन

राज्योत्सव 2022 में जल संसाधन विभाग का स्टाल

7. जिला जांजगीर–चांपा में सिंचाई आवश्यकता, विद्युत उत्पादन एवं उद्योगों को पानी देने के लिए निर्मित शिवरीनारायण बैराज में नौका विहार की सुविधा के प्रारंभ से यह स्थानीय लोगों के बीच प्रमुख पर्यटन स्थल के रुप में उभरा है।

जांजगीर-चांपा भास्कर

वीकेंड: शिवरीनारायण पहली पसंद, क्योंकि मंदिर के साथ नौकाविहार भी

जिले के इन स्थानों पर भी जा सकते हैं घूमने

8. जिला बीजापुर में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के साथ जिला खनिज न्यास निधि के तालमेल से जलाशयों की सिंचाई परियोजना पुनर्स्थापन अंतर्गत कोडोली जलाशय नहर लाईनिंग द्वारा तीन वर्ष पश्चात् खरीफ के साथ रबी फसलों को भी सिंचाई जल सुनिश्चित किया गया है। जिसके फलस्वरूप कृषक आज बासमती चांवल की पैदावार कर रहे हैं।

बासमती की खुशबू से महका नरहर का घर-आँगन

9. भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटर एवार्ड 2019

भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण/ प्रबंधन एवं नदी पुनरुद्धार के क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के लिए जल संरक्षण श्रेणी में सूरजपुर जिला को एवं नदी पुनरुद्धार श्रेणी में बिलासपुर जिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया है।

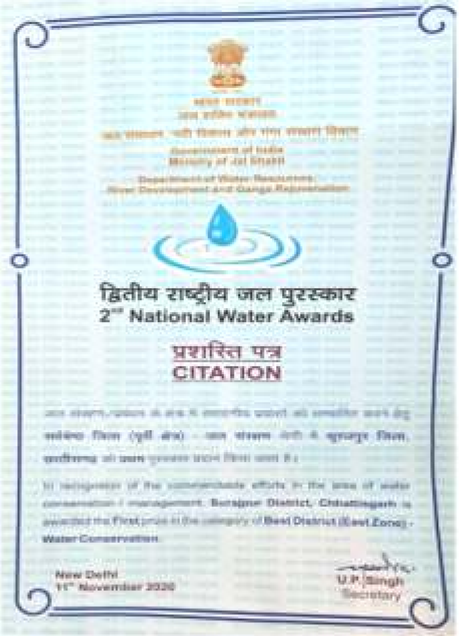

10. परासी सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला : गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही जिला मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पोंडी एवं पथरी के 220 कृषको को 180 हेक्टेयर रकबे में सूक्ष्म (ड्रीप) पद्धति से खरीफ एवं रबी सिंचाई किये जाने हेतु इंटेकवेल, पम्प हाउस, फिल्ट्रेशन यूनिट, तकनीकी संचालन कक्ष, इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफार्मर एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया गया है। ग्राम पोंडी प्रगतिशील कृषक श्रीमती इतिवारा बाई ने इस योजना से 2 एकड़ में टमाटर, 1.50 एकड़ में मटर, 1 एकड़ में लौकी एवं 0.50 एकड़ में बैंगन की फसल लगायी है। जिसमें फसल का उत्पादन शुरू हो गया है एवं उत्पादन निरन्तर जारी है। कृषक इतिवारा बाई को प्रति सप्ताह लगभग रू. 32000.00 की आय हो रही है। फसल के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं मैदानी अमले के द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

11. राजाडीह जलाशय योजना, जिला : गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

राजाडीह जलाशय योजना मरवाही विकासखण्ड, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०), क्षेत्र में राजाडीह ग्राम के समीप निर्माणाधीन योजना है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति छ.ग. शासन से रू. 1222.25 लाख की वर्ष 2018–19 में प्राप्त हुई, योजना से 250 हेक्टेयर खरीफ एवं 130 हेक्टेयर रबी कुल 380 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है।

योजना का जलग्रहण क्षेत्र 9.88 वर्ग कि.मी. Gross जलभराव क्षमता 1.012 Live क्षमता 0.726 मि.घ.मी. बांध की लंबाई 960 मी. तथा अधिकतम उचाई 14.47 मी. है। नहर की लंबाई 6.00 कि.मी. तथा माइनर नहर 2.4 कि.मी. एवं Head Discharge 0.462 घ.मी/सेकेण्ड है। योजना से विधानसभा क्षेत्र मरवाही, विकासखण्ड मरवाही के 4 ग्राम सघराटोला, खलोटियाटोला, माडाकोट, कुम्हारी, जिनकी कुल आबादी 1560 की जनसंख्या तथा 963 आदिवासी लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजना के शीर्ष कार्य में बांध निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा नहर कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण है। इस वर्ष जलाशय में जल भराव हुआ है तथा निस्तारी हेतु ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। योजना से सिचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन के रूप में भी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा।

राजाडीह जलाशय योजना, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

12. अकोला सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला : बिलासपुर

बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम अकोला में लीलागर नदी पर निर्मित अकोला एनीकट में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया, जिसके दायें तट में ग्राम अकोला विकासखण्ड मस्तूरी की 40 हे. भूमि में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है।

उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग के पत्र क्र. 5875/ एफ–7–64/31/एस–2/2019 दिनांक 23.12.2019 द्वारा राशि रू. 289.04 लाख की प्रदान की गई थी। स्वीकृति उपरांत निविदा के माध्यम से कार्य करने हेतु अनुबंधित राशि रू. 344.00 लाख का ठेकेदार ड्रिप इंडिया इरिगेशन प्रा. लि., नासिक महाराष्ट्र द्वारा निर्माण कार्य 92 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात 10 वर्ष का रख–रखाव एवं संधारण का कार्य किया जाना है। सौर ऊर्जा चलित होने के कारण बिजली बिल का खर्चा नहीं आयेगा।

प्रारंभ में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के पंप हाउस के द्वारा छोड़े गये पानी को अन्डर ग्राउन्ड पाईप लाइन द्वारा किसानों को पानी देकर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कार्य अवधि के दौरान बीच–बीच में कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिससे कृषकों को इस नये तकनीकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। योजना के अंतर्गत 1 नग जेक वेल, ट्रेनिंग हाल सोलर पेनल मेन पाईप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन पाईप सिस्टम का कार्य किया जा चुका है।

योजना के अंतर्गत कमाण्ड एरिया में फेन्सिंग का कार्य शेष है। सौर सिचाई योजना से ग्राम अकोला के 81 कृषकों द्वारा 40 हे. खरीफ एवं 40 हे. सूक्ष्म रबी की फसल लिया जावेगा। इस बार खरीफ फसल कटने के बाद रबी में लगभग पूरे 40 हेक्टेयर (100 एकड़) में कैशक्रॉप लगाने की तैयारी की जा रही है।

सोलर पैनल

ग्रामीणों का प्रशिक्षण

13. सामूहिक उद्वहन सिंचाई योजना, जिला : बस्तर

कुम्हली सामूहिक उद्वहन सिंचाई योजना विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा से किसान लगभग 100 एकड़ में धान फसल हेतु सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे हैं इस योजना का कार्य (विधायक निधि) कलेक्टर मद से रू. 5.95 लाख में सम्पन्न करवाया गया, जिससे वर्तमान में 22 कृषकों की 86 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो रही है। ग्राम कुम्हली में पार्ट–2 लागत राशि रू. 5.95 लाख से 31 कृषकों की 99 एकड़ में सिंचाई, ग्राम छिन्दगांव कमांक 1 लागत राशि रू. 5.95 लाख से 43 कृषकों की 87 एकड़ में सिंचाई, छिन्दगांव कमांक 2 लागत राशि रू. 8.56 लाख से 36 कृषकों की 108 एकड़ में सिंचाई एवम् ग्राम कोड़ेबेड़ा में लागत राशि रू. 8.56 लाख से 22 कृषकों की 69 एकड़ में सिंचाई का कार्य करवाया गया है, जिससे लघु एवम् सीमान्त कृषकों को तीन फसल लेने हेतु आवश्यक पानी उपलब्ध हो रहा हैं. कृषकगण धान के अतिरिक्त गेहूं तथा उड़द अथवा मूंग की फसल ले रहे हैं, जिससे कृषकों को लगभग प्रति एकड़ 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का लाभ हो रहा है, जिससे बस्तर क्षेत्र के कृषि रकबे में आशातीत सफलता मिलेगी तथा लघु एवम् सीमान्त कृषकों के जीवन में खुशहाली आ गयी है।

"सामूहिक उद्वहन की यह अच्छाई, कम लागत में अधिक सिंचाई''

कुम्हली सामूहिक उद्वहन सिंचाई योजना

14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत अभिसरण मद के तहत् (जिला खनिज न्यास निधि) स्वीकृत कार्य :-

नारायणपुर जिले के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा 12 कार्य निर्मित है, जिसमें से 05 स्टापडेम में पुराने कड़ी शॅटर लगाकर पानी रोकने की प्रचलित व्यवस्था थी, उसे बदलकर कड़ी शॅटर के खुले स्थान पर अब पी गेट लगाकर पानी रोकने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सभी 05 स्टापडेम में रोके गये पानी का उपयोग रबी सिंचाई, ग्राम वासियों के निस्तार/नहाने धोने, जानवरों हेतु पीने का पानी, ग्राम के जल स्तर में बढ़ोतरी के लिये किया जा रहा है। स्टापडेम के मरम्मत का कार्य एवं पी टाइप गेट लगने से समस्त ग्रामवासी खुश है एवं रोके हुए पानी का उपयोग आने वाले ग्रीष्म कालीन मौसम में सब्जी, मक्का, कोदो, कुटकी, चना, गेहू आदि फसल लेने में करने वाले है। समस्त 12 कार्यों में पुराने जीर्ण–शीर्ण 05 स्टापडेम की मरम्मत एवं उनमें पी टाइप गेट लगाने का कार्य किया गया है, ये सभी 05 स्टापडेम जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे नरवा कार्यक्रम में भी शामिल किये गये है। 02 कार्यों में बिंजली जलाशय योजना के मुख्य नहर की मरम्मत एवं उसके तेलसी माईनर में लायनिंग कार्य किया गया है। 05 कार्य नवीन काडानाली निर्माण से संबंधित है। उपरोक्त सभी 12 कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामवासियों को सिंचाई के साधन बढ़ाने में सहायता मिली है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत अभिसरण मद् के तहत् (जिला खनिज न्यास निधि) स्वीकृत उपरोक्त 12 कार्यों से ग्राम–तेलसी, खैराभाट, पालकी, बिंजली, गुरिया, करलखा, सुलेंगा, महका, छोटेसुहनार, नेलवाड़, ब्रेहबेड़ा ग्रामों के कृषको को रोजगार के साथ–साथ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है। स्टापडेम में भरे हुये पानी का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा सौर पेनल द्वारा संचालित पंपों एवं डीजल पंप के द्वारा सिंचाई कर रहे है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण ग्रामीणों का रूझान कृषि कार्य की ओर बढ़ा है एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। उपरोक्त कार्यो से ग्रामवासियों में उत्साह का माहौल है एवं ये सभी कार्य उन्हीं के सहयोग से सफलता पूर्वक पूर्ण हो चुके है, जिससे आदिवासी बाहुल्य अंचल के कृषको में हर्ष व्याप्त है।

15. अभियंता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला-दुर्ग जी.ई. रोड स्थित चौक का नामकरण -

दुर्ग के जी.ई. रोड स्थित चौक का नामकरण भारत रत्न मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया जी के सम्मान में उनके नाम पर किया गया तथा उनकी एक प्रतिमा का अनावरण दिनांक 15.09.2022 को माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

तांदुला परिसर एवं भारत रत्न मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया मूर्ति स्थल का सौन्दर्यीकरण

Note

Note

छत्तीसगढ़ महतारी

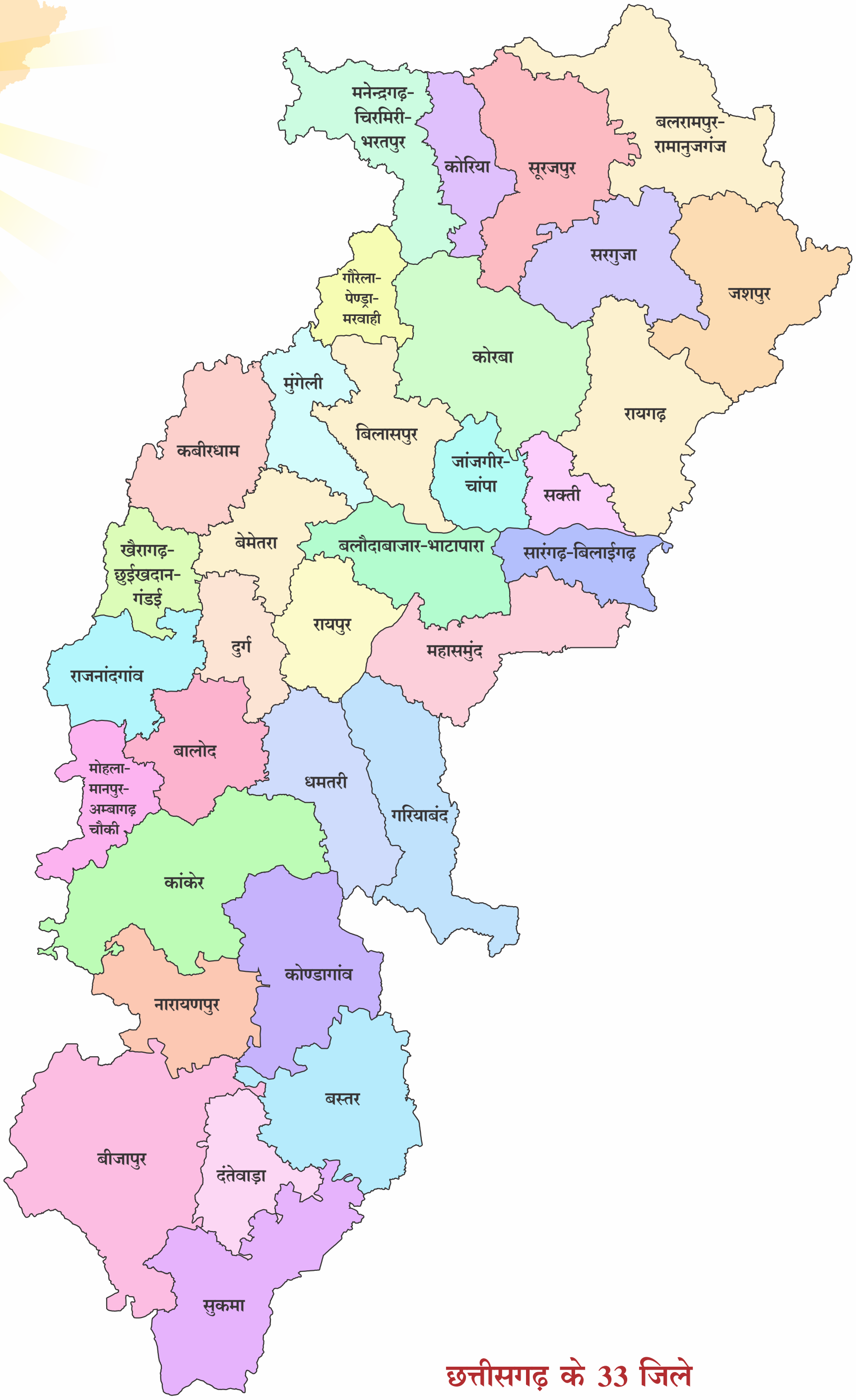

छत्तीसगढ़ के 33 जिले

मुंगेली जिले में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु बांध के उलट पर ट्रस ब्रिज निर्माण (मनियारी जलाशय)

केलो जलाशय, जिला - रायगढ़

CGWRD

जल है तो कल है....

जल संसाधन विभाग

कार्यालय माननीय मंत्री जी 0771-2510223, 2221223
कार्यालय सचिव 0771-2221977, 2229977
कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2512951

छत्तीसगढ़ संवाद